

LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SIXTH ASSEMBLY)

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES (SECOND REPORT) PRESENTED ON 23.08.2019 ADOPTED BY THE HOUSE ON 26.08.2019

LEGISLATIVE ASSEMBLY
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

LEGISLATIVE ASSEMBLY COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1.	Sh. Jitender Singh Tomar	Chairman
2.	Sh. Adarsh Shashtri	Member
3.	Sh. Jagdish Pradhan	Member
4.	Sh. Madan Lal	Member
5.	Sh. Naresh Balyan	Member
6.	Sh. Naresh Yadav	Member
7.	Sh. Prakash	Member
8.	Sh. Praveen Kumar	Member
9.	Sh. Surender Singh	Member

Secretariat of Legislative Assembly

1. Shri C. Velmurugan Secretary

2. Shri Mahendra Gupta Deputy Secretary

INDEX

1.	Preta	ice		Page 1
2.	Repo	ort		Page 2-21
	i.	Details of	fulfilled assurances	Page 2-11
	ii. Details of dropped assurances			Page 12
	iii. Details of pending assurances			Page 13-21
3.	Anne	exures to th	ne Report:	
	Anne	exure-I	(List of fulfilled assurances)	Page 22-23
	Anne	exure-II	(List of dropped assurances)	Page 24
	Anne	exure-III	(List of pending assurances)	Page 25-26

LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES)

PREFACE

I, the Chairman of the Committee on Government Assurances of the Delhi Legislative Assembly, having been authorized by the Committee to submit the report on their behalf and in continuation of the First Report of the Govt. Assurance Committee which was adopted by the House on 21.12.2018, present this Second Report (Sixth Legislative Assembly) for the period between 2015 to 2017 (Part-II).

The Report was considered and adopted by the Committee in its sitting held on 21.08.2019.

The Committee is grateful to the Hon'ble Members of the Committee for rendering valuable cooperation in the smooth functioning of the Committee. The Committee also place on record its appreciation for all the officers and employees of the Delhi Legislative Assembly Secretariat who arranged the Meetings time and again, and obtained the necessary material and for timely preparation of this Report.

The Committee authorised Shri Jitender Singh Tomar and in his absence Shri Madan Lal for presenting the Report of the Committee in the House.

Delhi

Date: 21 .08.2019

Jitender Singh Tomar

Chairman

Government Assurances Committee

REPORT

INTRODUCTION

The main responsibility of the Assurances Committee is to scrutinize the assurances, promises and undertakings etc. given by the Ministers from time to time on the floor of the House and to report on the extent to which these have been implemented and where implemented, whether such implementation has taken place within the stipulated time for the purpose.

To further discuss the assurances pertaining to the period 2015-2017 under Report, the Committee held six meetings during the period February,2018 to July,2019 in which a total number of 38 Assurances were considered. In these meetings, the Committee also sought clarifications from the representatives of the concerned Departments.

Out of 38 Assurances considered by the Committee, 21 Assurances were treated as fulfilled and one assurance was dropped by the Committee and 16 have been kept pending. A total number of 53 Assurances pertaining to Sixth Assembly are yet to be considered by the Assurances Committee. The Committee had presented its First Report on 20.12.2018 which was adopted by the House on 21.12.2018.

ASSURANCES FULFILLED AFTER DELIBERATIONS IN THE COMMITTEE MEETINGS

The following assurances were examined by the Committee and found fulfilled:-

Assurance No.:72 Decision: Fulfilled

Starred Question No.:52- Public Works Department

Dated: 24.8.2016

The question had been raised by Hon'ble Member Shri Madan Lal regarding construction of ROB (Railway Over Bridge) to connect Sewa Nagar with Lodhi Road and Kotla Mubarakpur in reply to which the Hon'ble Minister of Public Works Department had assured that the construction work of ROB would be started in September,2016 and completed by March,2017 after which the work of its road would be started and completed within one month i.e. by April,2017.

In the Committee meeting held on 16.02.2018, the Departmental Representative informed that the work was delayed due to delay in the approval of structural map of ROB by the Railways and arrival of monsoon and thereafter due to delay in permission by Hon'ble Delhi High Court for covering the drain (Naala) with soil. The work was in progress now and was expected to be completed by April, 2018.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and Assurance No. 72 was considered as fulfilled.

Assurance No.:73 Decision: Fulfilled

Un-Starred Question No.:39- Public Works Department

Dated: 24.08.2016

Hon'ble Member Shri Somnath Bharti had sought information regarding construction of Foot Over Bridge near the gate of IIT, Delhi, Shaniram Mandir, in reply to which Hon'ble Minister of Public Works Department had assured that the construction work of the said Foot Over Bridge would be completed by 31.01.2017.

In the Committee meeting held on 16.02.2018, the Departmental Representative informed the Committee that the construction work of the said Foot Over Bridge had been completed on 09.05.2017 and the same was being fully used by the paediatricians.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and Assurance No. 73 was considered as fulfilled.

Assurance No.:74 Decision: Fulfilled

Un-Starred Question No.:43 - Public Works Department

Dated: 24.08.2016

Hon'ble Member, Shri Mohinder Goyal had sought to know about the proposal of the Government to improve and replenish with greenery the dividers of all the main roads under Rithala Assembly Constituency in reply to which Hon'ble Minister of Public Works Department had assured that this work would be completed by 31.08.2016.

In the Committee meeting held on 16.02.2018, the Departmental Representative informed the Committee that the work of repairing and replenishing with greenery the dividers of the main roads under Rithala Assembly Constituency had almost been completed and the whole work would be completed by 31.03.2018.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 74 was considered as fulfilled.

Assurance No.:75 Decision: Fulfilled

Un-Starred Question No.:46 - Public Works Department

Dated: 24.08.2016

Hon'ble Member Shri Akhilesh Pati Tripathi had sought to know about the scheme of the Government to repair the road/service line at G.T. Karnal Road, Lal Bagh and in front of Rana Pratap Bagh under Model Town Assembly Constituency in reply to which Hon'ble Minister of Public Works Department had assured that the repair work of these roads to be completed by December, 2016.

In the Committee meeting held on 16.02.2018, the Departmental Representative informed the Committee that the service road at Lal Bagh had been completed in May, 2017. 256 meter part of G.T. Karnal road in front of Lal Bagh had been handed over to DMRC in the year 2013 which was still under DMRC and the project of DMRC was still under progress.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 75 was considered as fulfilled.

Assurance No.:40 Decision: Fulfilled

Starred Question No.:120 - Public Works Department

Dated: 27.11.2015

Hon'ble Member Shri Rajendra Pal Gautam had sought to know about Construction of double-way flyover at Seelampur G.T. Road in reply to which Hon'ble Minister of Public Works Department had informed that draft proposal of this scheme was under consideration. In the Committee meeting held on 03.07.2019, the Departmental Representative from PWD informed the Committee that flyovers were to be constructed at Seelampur and at Shastri Park. A single way flyover had been constructed at Seelampur which was to be made double way while a new flyover was to be constructed at Shastri Park. Work had been awarded on 16.02.2019 and construction was going on in full swing. Columns had been erected at Seelampur Flyover. At Shastri Park flyover, work of side walls had been started. Target date for completion of the project was 19.08.2020 but in view of the speed of the work, the project was expected to be completed before target date.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 40 was considered as fulfilled.

Assurance No.:42 Decision: Fulfilled

Un-starred Question No.:95- Public Works Department

Dated: 27.11.2015

Hon'ble Member Shri Somnath Bharti had sought to know about (a) repair work of drains, footpath, street-lights etc. in Malviya Nagar Assembly Constituency (c) by when the rainwater drains along the road would be separated from the sewer lines of Delhi Jal Board (d) to modify the structure of Green Park U-turn in reply to which Hon'ble Minister of Public Works Department had assured that this work would be completed by the end of that financial year.

In the Committee meeting held on 03.07.2019, Regarding part (a), it was informed by the Departmental Representative from PWD that list of roads of Malviya Nagar had already been submitted to the Committee. Repair work of roads was continuously going on. Repair of encroachment free footpaths had already been done. For removal of encroachments, correspondence with competent department was made at regular intervals.

Regarding part (c), it was informed by the Departmental Representative from PWD that sewers had been connected with rainwater drains by the Delhi Jal Board with regard to which correspondence had been done with Delhi Jal Board several times. Action in this regard was to be taken by the Delhi Jal Board.

Regarding part (d), it was informed by the Departmental Representative from PWD that regarding Green Park U-turn, joint inspection with traffic police had been done on the site on 16.2.2019 and drawings had been prepared accordingly which had been submitted to UTTIPEC on 7th May, 2019 for their approval. Work would be started immediately on receipt of approval from them.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 42 was considered as fulfilled.

Assurance No.:90 Decision: Fulfilled

Un-starred Question No.:144- **Health Department**

Dated: 10.08.2017

Hon'ble Member Shri Vijender Garg had sought to know about the scheme of the Government to start a Polyclinic at a 2700 Sq. Yds Plot at C-Block, Narayana Vihar under Rajender Nagar Assembly Constituency in reply to which Hon'ble Minister of Health had assured that this work would be started within 3 months and the same would be completed within 9 months.

In the Committee meeting held on 11.07.2018, the Departmental Representative informed the Committee that originally, the land had been allotted by the DDA for hospital

but later on, Hon'ble Minister asked to build Polyclinic on this land. Since, as per policy of the DDA, the land could be used only for the purpose for which it had been allotted, they had written to DDA for change of land use.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 90 was considered as fulfilled.

Assurance No.:51 Decision: Fulfilled

Un-starred Question No.:11- **Health Department**

Dated: 29.03.2016

Hon'ble Member Shri Vijender Gupta had sought to know about renovation and filling up of vacant posts in Sabzi Mandi Mortuary in reply to which Hon'ble Minister of Health had informed that the proposal was under consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 03.7.2019, it was informed by the Departmental Representative from Health Department that all the four sanctioned posts of Forensic Experts in Sabzi Mandi Mortuary had been filled. At present, there was no post vacant in Sabzi Mandi Mortuary.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 51 was considered as fulfilled.

Assurance No.:05 Decision: Fulfilled

Starred Question No.:27- Women & Child Development

Dated: 30.06.2015

Hon'ble Member Ms. Alka Lamba had sought to know about the steps being taken by the Government to open new Anganwadi Centres in reply to which Hon'ble Minister of Social Welfare had informed that as against sanction of 11,150 Anganwadi Centres by the Ministry of Women & Child Development, Government of India, 10,897 Anganwadi Centres had been opened and for opening balance 253 Anganwadi Centres, proposal for selection of Anganwadi Workers was under consideration.

In the Committee meeting held on 04.02.2019, the Departmental Representative from Women & Child Development Department informed the Committee that the Department had informed Ministry of Women & Child Development, Government of India that after rationalization of Anganwadi Centres, only 10,897 Anganwadi Centres were required in Delhi and balance 253 Anganwadi Centres were not required. Thereafter, by its letter dt.16.11.2018, Govt. of India had also given approval for 10,897 Anganwadi Centres copy of which had been annexed with the reply of the assurance submitted to the Committee. Thus, there was no need for recruitment of Anganwadi Workers for 253 Anganwadi Centres.

It was further informed by the Departmental Representative that to improve nutritional standard of socio-economically backward sections, process of rationalization of Anganwadi Centres had been completed and three Anganwadi Centres had been opened near Yamuna Barrage at Chilla Khadar on 01.03.2017.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 05 was considered as fulfilled.

Assurance No.:15 Decision: Fulfilled

Starred Question No.:11- Food Safety

Dated: 18.11.2015

Hon'ble Member Shri Adarsh Shastri had sought to know about the proposal of the Government for re-constitution of Food Safety Department which was facing acute shortage of trained employees in reply to which Hon'ble Minister of Health had informed that Food Safety Department was facing acute shortage of trained employees and the requisition for recruitment of employees had been sent to Delhi Subordinate Service Selection Board(DSSSB). Further, Food Safety and Drugs Control Department, both came under Health Department, Government of Delhi. Proposal for merger of Food Safety and Drugs Control Department into a single Food & Drugs Department had been sent for approval of Delhi Dialogue Commission.

In the Committee meeting held on 27.03.2019, the Departmental Representative Shri L.R. Garg, Commissioner (Food Safety) informed the Committee that the department had informed the Committee in its meeting dt.28.02.2017 that as against 32 sanctioned posts of Food Safety Officers, there were only 06 Food Safety Officers in the department and after a long period, DSSSB would conduct examination for recruitment of 19 Food Safety Officers on 05.03.2017. In October, 2017, DSSSB had sent dossiers of 18 Food Safety officers all of which had been appointed by the Department. Currently, there were 25 Food Safety Officers working in the department. At present, against 07 vacant posts of Food Safety Officers, Department had sent proposal for filling up of 05 posts of Food Safety Officers to DSSSB which was under consideration.

As regards merger of Food Safety and Drugs Control Departments, the draft proposal had been approved in principle by the Hon'ble Minister of Health.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 15 was considered as fulfilled.

Assurance No.:30 Decision: Fulfilled

Starred Question No.:87- Education

Dated: 26.11.2015

Hon'ble Members Shri Adarsh Shastri and Shri Somnath Bharti had sought to know about the pass percentage in class 6 to 8 in the academic year 2014-15 and in the mid-term exams. In reply to which giving information about academic year 2014-15, Hon'ble Dy. Chief Minister had informed that the data for Mid-term examination was being collected.

In the Committee meeting held on 27.03.2019, it was informed by Sh. Sandeep Kumar, Secretary(Education) that as per 'No Detention' provision of Section 16 of Right to Education Act,2009, all the students from Class 6 to 8 were promoted to next class. Hence, in the mid-term examination in 2015-16, there was hundred percent pass result of Class 6 to 8. In Class 6, 59.46%, Class 7, 63.41% and Class 8, 63.20% students got more than 33% marks.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 30 was considered as fulfilled.

Assurance No.:31 Decision: Fulfilled

Starred Question No.:92- Education

Dated: 26.11.2015

Hon'ble Member Shri Rajendra Pal Gautam had sought to know about starting vocational training course/subject in the schools of Delhi Government and opening Skill Development Centres in all the districts of Delhi in reply to which Hon'ble Dy. Chief Minister had informed that it was under consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 27.03.2019, it was informed by the Departmental Representative from Training & Technical Education that there was a proposal for 25 World Class Skill Centres out of which 06 World Class Skill Centres were inaugurated by the Hon'ble Dy. Chief Minister in January, 2019. After Model Code of Conduct was over, they would complete the process and by April, 2019, 06 World Class Skill Centres would be started.

Balance 20 World Class Skill Centres were to be started from August,2019. Besides, the Department was making policy for private sector which they had submitted to the Hon'ble Dy. Chief Minister. In the third phase, private sector World Class Skill Centres would be started.

As regards the proposal to open 03 ITIs, it was informed by the Departmental Representative that out of the three ITIs, 02 had been converted into World Class Skill Centres construction for which had been completed and by August,2019, they would be started.

One ITI was in Chhatarpur which was associated with Health Department and a hospital was being constructed. There was a land dispute. Perhaps, the land was under Ridge area. That project could not move forward.

Besides, the Departmental Representative also gave information about 05 more polytechnics which were to be started by the Government.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 31 was considered as fulfilled.

Assurance No.:32 Decision: Fulfilled

Un-starred Question No.:57- Education

Dated: 26.11.2015

Hon'ble Member Shri Ved Parkash had sought to know about starting new schools in Bawana Assembly Constituency in reply to which Hon'ble Dy. Chief Minister had informed about the proposals which were under consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 27.03.2019, it was informed by Shri Sandeep Kumar, Secretary(Education) that the assurance was about five schools out of which work of three schools i.e. in Sector 22, Rohini, Sector 21, Rohini Phase 2 and Sector 21, Rohini, Phase-3 had been completed and they had been started from the year 2017-18.

As regards two schools in Mungeshpur and Daryapur Kalan, drawings/draft of the schools had been approved and submitted to PWD. Estimates were to come from PWD. As and when estimates were received, sanction would be issued and work would be started.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 32 was considered as fulfilled.

Assurance No.:33 Decision: Fulfilled

Un-starred Question No.:56 - **Higher Education**

Dated: 26.11.2015

Hon'ble Member Shri Ved Parkash had sought to know about starting any Higher Education Institute in Bawana Assembly Constituency in reply to which Hon'ble Dy. Chief Minister had informed that at that time there was no such proposal but in order to shift Aditi Mahavidyalaya which was running in some school building in Bawana, proposal to take decision for land in Bawana or adjoining area was under consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 27.03.2019, It was informed by Shri Sandeep Kumar, Secretary(Education) that 8 acres of land had been earmarked at Updesh Kaur Govt. Sarvodaya Kenya Vidyalaya, Daryapur Kalan for shifting of Aditi Mahavidyalaya for which land was to be transferred from Education Department to Higher Education Department. But later on, it was directed by the Hon'ble Dy. Chief Minister that the said 8 acres land would be used for the college campus of some University of Delhi Government college.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 33 was considered as fulfilled.

Assurance No.:34 Decision: Fulfilled

Un-starred Question No.:60- **Training & Technical Education**

Dated: 26.11.2015

Hon'ble Member Ms. Bhavna Gaur had sought to know about establishing Skill University in Delhi in reply to which Hon'ble Dy. Chief Minister had informed that proposal in this regard was under consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 27.03.2019, it was informed by the Departmental Representative from Training & Technical Education Department that 'Delhi Skill University' proposal was initiated in 2016 but the same was kept on hold. In the meantime, Netaji Subhash College in Sector-3, Dwarka was to be upgraded in University. After upgrading and passing it, notification was to be issued but there were some problem regarding definition of 'Government'. That matter was referred to MHA, Govt. of India also and thereafter, its final clarification was received in July, 2018. In October, 2018, final notification of that university was issued and it started functioning. Once, the department received template of the Act, on those lines, Hon'ble Dy. Chief Minister decided to start it with the name of 'University of Applied Sciences' because he had visited some universities in Finland and Germany. On the basis of that concept, department had prepared a Cabinet Note and once, the Model Code of Conduct was over, they would further initiate that Cabinet Note.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 34 was considered as fulfilled.

Assurance No.:35 Decision: Fulfilled

Starred Question No.:94- Power

Dated: 26.11.2015

Hon'ble Member Shri Ajay Dutt had sought to know about the schemes of Delhi Government to promote Solar Energy and subsidy on production of Solar Energy in reply to which Hon'ble Minister of Power had informed that a draft Solar Policy was being prepared

which would soon be placed for approval of the Cabinet. There was no proposal for subsidy on solar energy but in order to publicize solar energy among consumers, a Generation Based Incentive Scheme was under consideration of the Government

In the Committee meeting held on 24.07.2019, it was informed by Ms. Padmini Singla, Secretary(Power) that there were two parts of this assurances viz. (a) Solar Policy was to be framed and (c) regarding Generation Based Incentive Scheme. Both had been fulfilled. Solar Policy had been notified on 27.09.2016 by Delhi Government and there was Generation Based Incentive Scheme also in that policy according to which subsidy of Rs.2/per unit was to be paid to consumers subject to condition of generation of minimum 1100 units of solar energy.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 35 was considered as fulfilled.

Assurance No.:36 Decision: Fulfilled

Unstarred Question No.:74- Power

Dated: 26.11.2015

Hon'ble Member Shri Adarsh Shastri had sought to know about the alternative energy sources being considered by Delhi Government in reply to which Hon'ble Minister of Power had informed that one plant of energy from garbage(16MW) was functional at Okhla and two other one at Ghazipur(12MW) and Bawana(24 MW) were under construction. For Solar Energy, a draft Solar Policy would be sent for Cabinet approval. In order to publicize solar energy among consumers, a Generation Based Incentive Scheme was also under consideration of the Government

In the Committee meeting held on 24.07.2019, it was informed by Ms. Padmini Singla, Secretary (Power) that the assurance was regarding establishment of new plants for generation of power from garbage in Delhi. Two plants for generation of power from garbage, one at Ghazipur(12MW) and the other at Bawana (24MW) had become operational since April and February,2017 and were producing power.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 36 was considered as fulfilled.

Assurance No.:45 Decision: Fulfilled

Starred Question No.:107- Finance

Dated: 27.11.2015

Hon'ble Member Ms. Alka Lamba had sought information about simplification of normal procurement procedure for various Government departments in reply to which Hon'ble Dy. Chief Minister had informed that as per Cabinet Decision No.2219 dt.29.09.2015, a Committee was to be constituted by Finance Department which would give its recommendations on Public Procurement Act within two months.

In the Committee meeting held on 24.07.2019, it was informed by the Departmental Representative from Finance Department that the assurance was regarding simplification of procurement procedure in various departments of Delhi Government and to ensure accountability and transparency in that. Department had informed that a Committee would be constituted on Public Procurement Act who would give its recommendation within two months.

In October, 2015, the Committee was constituted which placed its recommendations in December, 2015. There was deliberation on those recommendations and they were also forwarded to Member, Delhi Dialogue Commission, Sh. Haldia in March, 2016 who considered those recommendations and commented on them that the draft Public Procurement Act was not much helpful and it would be better to follow the old procedure. In the meantime in March, 2017, General Financial Rules were notified and Finance Department opined that Delhi Government should continue to follow GFR. In Chapter-VI of GFR, goods and service procurement procedure had been explained in detail. Finance Department, through various communications in March, April, August, October and December, 2018, informed all the departments to follow the various procedures of GFR. In August, 2018, the position was explained to Hon'ble Minister also.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 45 was considered as fulfilled.

Assurance No.:27 Decision: Fulfilled

Starred Question No.70- Delhi Jal Board

Dated: 24.11.2015

Hon'ble Member Ms. Bhavna Gaur had sought information about various works relating to Delhi Jal Board in her constituency in reply to which Hon'ble Minister had assured that (a) "250 meter water pipe-line removed due to construction of Dashrath Puri Metro Station would be restored by February,2016 as assured by Delhi Metro."(b) "in the Zonal Revenue Office(Kakrola) under the Development Charge Scheme, total 14318 applications for new connections were received out of which 5348 connections were sanctioned and 8970 applications were pending which would be processed by 30th December,2015." (c) "all these connections would be sanctioned by 30th December,2015." (d) and (e) "all the estimates were in the process of approval to solve the problem of contaminated water due to old and damaged pipelines in some streets of Mahavir Enclave. On completion of departmental procedure, tenders would be invited and damaged pipelines would be replaced." (f) "this work was expected to be completed within three months.

In the Committee meeting held on 03.07.2019:

Regarding part (a), it was informed by the Departmental Representative from Delhi Jal Board that 250 meter water pipeline removed due to construction work of Dashrathpuri Metro Station had been restored in December, 2016 and was functional at present.

Regarding part (b), it was informed by the Departmental Representative from Delhi Jal Board that in Palam Assembly constituency, under the reduced development charge scheme in the first phase, 15,294 applications for new water connections had been received out of which 13,032 applications had been approved and 2262 applications had been rejected for various reasons. Thus, all the applications received for new water connections had been disposed off.

Regarding part (c), it was informed by the Departmental Representative from Delhi Jal Board that the procedure for getting new water connections had been simplified by taking various steps such as, (i) simplification of application form for new water connection (ii) removing of ceiling of 10 water connections in one property (iii) removing condition of submission of affidavit, as per order of Delhi Government.

Regarding part (d) and (e), it was informed by the Departmental Representative from Delhi Jal Board that the problem of contaminated water supply had been resolved in Mahavir Enclave by replacing the damaged water pipelines.

Regarding part (f), it was informed by the Departmental Representative from Delhi Jal Board that the concerned work had been completed.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No. 27 was considered as fulfilled.

Assurance No.:76 Decision: Fulfilled Un-starred Question No.91- Delhi Jal Board 26.08.2016

Hon'ble Member Sh. Pankaj Pushkar had sought information about the status of the work of shifting of main sewer line of Malka Ganj Ward-10 from the drain near Hans Raj College in reply to which Hon'ble Minister had informed that the proposal to shift this sewer line was under consideration of the Government.

Dated:

In the Committee meeting held on 03.07.2019, It was informed by the Departmental Representative from Delhi Jal Board that sewer line was to be laid from Malka Ganj Chowk to Maurice Nagar. Sewer line of the length of 1.2 km had been laid and end-point connections were to be made at Malka Ganj Chowk and Maurice Nagar Chowk. Since it was deep sewer work and there was rainy season, so, traffic police did not give permission saying that this work could be resumed after rainy season. 95% of the work was complete and rest of the work would be done after 30.09.2019 i.e. after rainy season was over and by 30.10.2019, work would be completed.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No.76 was considered as fulfilled.

Decision: Fulfilled Assurance No.:77

Un-starred Question No.92- Delhi Jal Board

Dated: 26.08.2016

Hon'ble Member Sh. Somnath Bharti had sought information about improvement and expansion of water supply in Malviya Nagar Assembly Constituency in reply to which Hon'ble Minister had informed that the improvement and expansion work of water supply in PPP area by Malviya Nagar Water Supply Company was under progress. 50% of the work had been completed and rest of the work would be completed by 30th June,2017.

In the Committee meeting held on 03.07.2019, it was informed by the Departmental Representative from Delhi Jal Board that the assurance was regarding work of Malviya Nagar PPP Project. Expansion work of water supply in PPP area in Malviya Nagar had almost been completed by Malviya Nagar Water Supply Company except in Hauzrani, Jahanpanah, Begampur and Kumhar Basti where around 80% water connections were unauthorized due to which double network of water supply was working there. Government had brought a liberalized scheme also to legalize those unauthorized connections by paying one instalment of Rs.1,000/- but still there were some problems due to resistance of people against shifting of old connections to new network of water supply. Government was trying to bring some new liberalized scheme to shift those connections from old water supply network to new water supply network so that the whole new network of water supply could be made fully functional. This was expected to be done by 30.09.2019.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was satisfied with the reply of the department and the Assurance No.77 was considered as fulfilled.

Assurance No.:39 Decision: Dropped

Starred Question No.108- Public Works Department

Dated: 27.11.2015

Hon'ble Member Shri Shri Dutt Sharma had sought information about construction of Underpass at ISBT Road, Shastri Park Intersection (Shastri Park Red Light) in reply to which Hon'ble Minister had informed that proposal for construction of flyover at this place was under consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 03.07.2019, It was informed by the Departmental Representative from PWD that on Pushta Road, Khajuri Chowk, an underpass was to be constructed under the flyover. The proposal had been prepared by PWD and approved by UTTIPEC. Later on around 3-4 months back, NHAI declared that stretch from Akshardham to Tronica City as National Highway. In the NHAI project, there were four proposals viz. at the bottom, an underpass was to be constructed, then a flyover upon the underpass, then an elevated National Highway upon that and at the top, elevated Metro line was to be constructed. Department had requested them to include their proposal in their project as it was an already sanctioned project but they said that since that stretch had been declared as National Highway, they would design it in their own way.

The Committee observed that since this project had been taken over by NHAI which was a Central Government agency, it was not possible for the Department to fulfil this assurance. The Committee unanimously decided to drop this assurance. **Thus, Assurance No.39 was dropped by the Committee.**

ASSURANCES KEPT PENDING AFTER DELIBERATIONS IN THE COMMITTEE MEETINGS

The following assurances were examined by the Committee and found pending:-

Assurance No.:07 **Decision: Pending**

Starred Question No.:07- Urban Development

Dated: 18.11.2015

Hon'ble Member Shri Ved Parkash had sought information regarding regularisation of unauthorized colonies in Bawana Assembly Constituency in reply to which Hon'ble Minister had informed that due to (b) non-demarcation of boundaries of unauthorized colonies due to some deficiencies such as improper photography of the boundaries of unauthorised colonies by survey of India, non-displaying of some areas of unauthorised colonies in aerial photographs etc. and after notification dated 01.01.2015 of Government of India and their letter dated 03.07.2015 requiring at least 50% habitation as on 01.01.2015 in these colonies for being regularized, latest data was being collected from Geo Spatial Delhi Limited (G.S.D.L.) (c) as per notification dated 24.03.2008 and the amendments made thereafter, the proposal for regularisation of unauthorized colonies was under consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 04.02.2019, it was informed by Sh. Rajiv Yaduvanshi, Pr. Secretary (Urban Development) to the Committee that (b)in response to letter by Delhi Government to Government of India for simplification of regularization of unauthorized colonies, Govt. of India, by its letter dt.15.9.2016 had sought detailed information such as demarcation of boundaries, population, density of population in unauthorized colonies. Due to improper photography of boundaries of unauthorized colonies by Survey of India, overlapping in layout plan of unauthorized colonies, non-displaying of some areas of unauthorized colonies in aerial photographs etc., demarcation of boundaries of unauthorized colonies could not be done causing delay in the regularization of unauthorized colonies.

¹/₄x ¹/₂ It was informed that for regularization of unauthorized colonies and for collecting essential information for the same, now, permission had been given to apply an advanced technique of U.A.V. Drone implementation of which was being done by Revenue Department. Request of Delhi Government for amendment in Government of India Gazette Notification dt.24.3.2008 for regularization of 1639(1797 including all parts) unauthorized colonies was under consideration of Ministries of Home and Urban Development, Government of India. Regularization process would be initiated after that.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the assurance No.7 was kept pending.

Assurance No.:11 Decision: Pending

Starred Question No.:19- Urban Development

Dated: 18.11.2015

Hon'ble Member Shri Adarsh Shastri had sought information regarding regularisation of unauthorized colonies in Delhi in reply to which Hon'ble Minister had assured that as per notification dated 24.03.2008 and the amendments made thereafter, regularization of 1639 (Total 1797 including all the parts) Unauthorised Colonies was under consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 04.02.2019, it was informed by Pr. Secretary(Urban Development) that Request of Delhi Government for amendment in Government of India Gazette Notification dt.24.3.2008 for regularization of 1639(1797 including all parts) unauthorized colonies was under consideration of Ministries of Home and Urban Development, Government of India. Regularization process would be initiated after that.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the Assurance No.11 was kept pending.

Assurance No.:12 Decision: Pending

Starred Question No.:101 – **Urban Development**

Dated: 27.11.2015

Hon'ble Member Ms. Bhavna Gaur had sought information regarding compensation, alternative place given to the shopkeepers/house owners displaced during the constructions of flyover in Palam Colony under the Palam-Dwarka Flyover Project in reply to which the Hon'ble Minister had informed that the information in this regard would be made available after collecting the same from DDA.

In the Committee meeting held on 04.02.2019, it was informed by Pr. Secretary(Urban Development) that during the construction of Palam-Dwarka flyover, 59 shops and houses falling in its alignment had been demolished and a sum of Rs.48,43,430/had been given by DDA to Land & Building Department for being given as compensation to affected persons. The Departmental Representative also explained the details of the plots given to affected persons as shown in the information provided by the department to the Committee.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the Assurance No.12 was kept pending.

Assurance No.:22 Decision: Pending

Starred Question No.:45- Industries

Dated: 23.11.2015

Hon'ble Member Shri Vijender Gupta had sought information about granting free hold rights of the plots to factory owners who had been allotted these plots under Re-location Scheme in reply to which Hon'ble Minister had assured that a proposal in this regards was under consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 04.02.2019, it was informed by Sh. Arun Mishra, Special Commissioner, Industries Department that in 2005 Delhi Government had implemented a freehold scheme under which freehold rights had been given to factory owners but since it was a new scheme and most of the relocated factory owners had not shifted their factories there due to non-completion of factory buildings, these rights had not been given to them.

Now, since most of the relocated factory owners had shifted there after completion of factory buildings, therefore, a proposal to implement this scheme on relocated factory owners had been placed which was under the process of approval.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the assurance No.22 was kept pending.

Assurance No.:46 Decision: Pending

Starred Question No.:03- **Health Department**

Dated: 29.03.2016

Hon'ble Member Shri Jagdish Pradhan had sought information about the Mohalla Clinics in Delhi in reply to which Hon'ble Minister had informed that one Mohalla Clinic had been opened in Peeragarhi by February, 2016 and there was proposal to open 100 Mohalla Clinics by 31.03.2016 and to open 1000 Mohalla Clinics during the financial year 2016-17.

In the Committee meeting held on 03.07.2019, it was informed by the Departmental Representative from Health Department that as per information submitted earlier to the Committee, at present 192 Mohalla Clinics (95 in rented premises and 97 in Porta Cabins) were functional list of which had been submitted to the Committee but within that week, the number of functional mohalla clinics had increased from 192 to around 200 Mohalla Clinics for which fresh recruited doctors and ANMs had also been provided. Fresh list of 200 functional mohalla clinics would be provided to the Committee. Further, 151new sites had been handed over to PWD for construction of Mohalla clinics. As assured by PWD, they would hand over those 151 new Mohalla clinics within the next 20-25 days. For making those 151 new Mohalla Clinics functional, their list had been given to CDMOs who were recruiting doctors out of the panel of doctors. ANMs were being provided by the Department for those 151 Mohalla clinics. For medicines, CDMOS were giving orders for purchase of medicines for those 151 mohalla clinics. Besides, the department had given advertisements for rented premises for mohalla clinics in response to which they were receiving 3-4 applications per week in the tender box which would be scrutinized by the department.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the Assurance No.46 was kept pending.

Assurance No.:47 Decision: Pending

Supplementary to Starred Question No.:03- **Health Department**

Dated: 29.03.2016

Hon'ble Member Shri Jagdish Pradhan had sought information about opening of Mohalla Clinic in a vacant building of Health Department at Sarai Pipalthala, Ravi Das Marg near Azadpur Mandi in reply to which Hon'ble Minister had assured that the said place at Sarai Pipalthala would be converted into Polyclinic by the end of that year.

In the Committee meeting held on 03.07.2019, it was informed by the Departmental Representative from Health Department that building of Sarai Pipalthala Polyclinic was ready. Water and electricity connections had been given. After appointment of doctors and other staff, services of Polyclinic would be started immediately.

Departmental Representative further informed that appointment process had become somewhat lengthy because firstly, post was to be created because there was no post. After post creation, recruitment process would be initiated. So, it was in the process of post creation.

On being asked as to by when it will be done, it was informed that it will be done before the end of the year.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the Assurance no.47 was kept pending.

Assurance No.:48 Decision: Pending

Supplementary to Starred Question No.:11- **Health Department**

Dated: 29.03.2016

Hon'ble Member Shri Jarnail Singh (Rajouri Garden) had sought information about increasing the bed capacity in the Guru Govind Singh Hospital in reply to which Hon'ble Minister had assured that the whole extension programme including extension programme of Guru Govind Singh Hospital would be completed by 31.12.2017.

In the Committee meeting held on 03.07.2019, it was informed by Medical Superintendent Guru Govind Singh Hospital, Sh. S.C. Chetal that as per information received from Project Division, expenditure sanction of Rs.172 crores had been received. Environmental and forest clearances for the project had also been taken. Tender had already been raised but due to rejection of drawings by the SDMC, tender could not be awarded. Drawings alongwith replies of the queries raised by SDMC had been re-submitted to SDMC and as per assurance given by the consultant, the drawings were likely to be approved by SDMC by 24th July,2019 and as soon as approval of drawings was received from SDMC, work order would be awarded. After award of work to agency, work would be completed within 18 months.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the Assurance No.48 was kept pending.

Assurance No.:49 Decision: Pending

Starred Question No.:14- **Health Department**

Dated: 29.03.2016

Hon'ble Member Shri Narayan Dutt Sharma had sought information about opening a hospital in a building in Gautampuri in reply to which Hon'ble Minister had informed that the building constructed in Gautampuri was meant for a Health Centre/ Dispensary and not for hospital. However, there was a proposal to open a polyclinic in that building which would be started by the end of the year 2016.

In the Committee meeting held on 11.07.2018, it was informed by the Departmental Representative that a building constructed for dispensary in Gautampuri was decided to be used for opening Polyclinic approval for which had been given by Hon'ble Minister of Health. Accordingly, it was placed in the list of 94 dispensaries which were decided to be upgraded to Polyclinic. Cabinet had already given approval for the same and further action would be taken by PWD after issuing of Sanction Order.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the department and Assurance No. 49 was kept pending.

Assurance No.:50 Decision: Pending

Unstarred Question No.:04- **Health Department**

Dated: 29.03.2016

Hon'ble Member Shri S.K. Bagga had sought information about opening of Mohalla Clinics in Delhi in reply to which Hon'ble Minister had informed that 100 Mohalla Clinics were proposed to be opened under pilot project in Delhi by 31.03.2016 and 1000 Mohalla Clinics were proposed to be opened during the financial year 2016-17.

In the Committee meeting held on 03.07.2019, it was informed by the Departmental Representative from Health Department that as per information submitted earlier to the Committee, at present 192 Mohalla Clinics (95 in rented premises and 97 in Porta Cabins) were functional list of which had been submitted to the Committee but within that week, the number of functional mohalla clinics had increased from 192 to around 200 Mohalla Clinics for which fresh recruited doctors and ANMs had also been provided. Fresh list of 200 functional mohalla clinics would be provided to the Committee. Further, 151new sites had been handed over to PWD for construction of Mohalla clinics. As assured by PWD, they would hand over those 151 new Mohalla clinics within the next 20-25 days. For making those 151 new Mohalla Clinics functional, their list had been given to CDMOs who were recruiting doctors out of the panel of doctors. ANMs were being provided by the Department for those 151 Mohalla clinics. For medicines, CDMOS were giving orders for purchase of medicines for these 151 mohalla clinics. Besides, the department had given advertisements for rented premises for mohalla clinics in response to which they were receiving 3-4 applications per week in the tender box which would be scrutinized by the department.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the Assurance No.50 was kept pending.

Assurance No.:52 Decision: Pending

Unstarred Question No.:15 - **Health Department**

Dated: 29.03.2016

Hon'ble Member Shri Jagdeep Singh had sought information about up-gradation of facilities given to patients at Deen Dayal Upadhyay Hospital in reply to which Hon'ble Minister had informed that the proposal for installation of Laproscopy, M.R.I. Machine, new X-ray Machine, expansion of I.C.U. and increasing the number of beds in Deen Dayal Upadhyay Hospital was under consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 03.07.2019, it was informed by the Departmental Representative that 3.5 acres land had been taken over from DDA last month. For construction of boundary wall on that land, P.E. had been submitted. Consultant had also been appointed and drawing had been prepared. After submission of P.E., next step would be taken.

Regarding CT Scan and MRI machines etc., it was informed that these were out of order since 2011. File had been sent to Health Department on which Hon'ble Minister had raised certain queries and directed to do it on PPP mode which was in the process. File had again been sent for permission for taking these services from nearby diagnostic centres at that stage.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the Assurance No.52 was kept pending.

Assurance No.:59 Decision: Pending

Starred Question No.:24- Public Works Department

Dated: 30.03.2016

Hon'ble Member Shri Somnath Bharti had sought information about dark spots dangerous for women safety and steps taken by the Government such pruning of trees, installation of street lights to ensure women safety in reply to which Hon'ble Minister of Public Works Department had informed that there were 45 dark spots stretches relating to

MCD out of which 38 dark spots stretches were now properly illuminated. On 04 dark spots stretches, work was being done by DMRC and work of PWD on these stretches was in progress which would be completed by 30.04.2016.

In the Committee meeting held on 16.02.2018, it was informed by the Departmental Representative from PWD that as assured, PWD had already completed its work on the remaining three dark spots stretches. Pruning of trees was regularly being done as and when there were complaints regarding hindrance in proper illumination by street lights due to increased branches of trees.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and Assurance No.59 was kept pending.

Assurance No.:03 Decision: Pending

Starred Question No.:24- Public Works Department

Dated: 30.06.2015

Hon'ble Member Shri Jagdish Pradhan had sought information about flyover at Wazirabad Road, Bhajanpura Red-light in reply to which Hon'ble Minister of Public Works Department had informed that the proposal for construction of flyover at Bhajanpura Red-light was under consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 03.07.2019, it was informed by the Departmental Representative from PWD that on the whole Mangal Pandey Road, there were three proposals vize.(1) one flyover at Bhajanpura (2) one flyover at Gagan Cinema, Nand Nagri and (3) one underpass at Loni Road.

Flyover at Bhajan Pura was to be constructed along Metro since there was metro line. Underpass and the other flyover was to be constructed by PWD. Estimates for these proposals had been submitted in two parts in PWD Secretariat from where they had been sent to Finance Department. These estimates had been returned with some observations and had been resubmitted on 13.5.2019.

On being asked by when these projects would be started, Departmental Representative informed the Committee that Hon'ble Minister was personally monitoring these projects.

Tender preparation had been started in EPC mode. Tender was expected to be processed by July/August,2019 and by the end of 2019, sanction would be issued and tender would be awarded.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the **Assurance No.03 was kept pending.**

Assurance No.:41 Decision: Pending

Un-starred Question No.:94- Public Works Department

Dated: 27.11.2015

Hon'ble Member Ms. Bhavna Gaur had sought information about (d)payment by government of outstanding electricity bills of retired government employees surrendering government accommodation and (e) recovery of that payment from such employees by government since 2005 in reply to which Hon'ble Minister of Public Works Department had informed that (d) list of Gulabi Bagh residential units had been annexed with the reply and information from other units was being collected. (e) information in this regard was being collected.

In the Committee meeting held on 03.07.2019:

Regarding part (d), it was informed by the Departmental Representative from PWD that payment of Rs.7,55,588/- had been made by PWD after directions from Secretariat, details of which had been submitted to the Committee.

Regarding part (e), it was informed by the Departmental Representative from PWD that the information pertained to Estate Department.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the Assurance no.41 was kept pending.

Assurance No.:18 Decision: Pending

Starred Question No.:28- Law, Justice & Legislative Affairs

Dated: 20.11.2015

Hon'ble Member Shri Adarsh Shastri had sought information about the reasons for keeping Mohan Nagar area of Dwarka Assembly Constituency under the jurisdiction of Patiala House Court instead of Dwarka Court which was against the principle of jurisdiction under nearest court in reply to which Hon'ble Minister had informed that the matter was in the notice of the Government and a proposal to transfer some areas from the West District into South West District was under the consideration of the Government.

In the Committee meeting held on 24.07.2019, it was informed by Sh. Sanjay Kumar Aggarwal, Pr. Secretary(Law) that the issue was regarding jurisdiction under nearest court. The problem was that although Mohan Nagar fell under Dwarka Court but it was under the jurisdiction of Patiala House Court. Revenue Department issued notification from time to time regarding jurisdiction of courts. He also had some idea that High Court had also issued notification to entertain the issue of jurisdiction of various areas under different courts. Although it was old record, the department tried and traced out that notification of the Hon'ble High Court and had also taken approval of that notification from Hon'ble Minister of Law on that day itself. The issue of jurisdiction of various areas under different court was decided by different notifications either on the recommendations of the High Court or on the recommendations of the Revenue Department. The jurisdiction issue was being dealt with by the Deputy Commissioner of Revenue Department and High Court had jurisdiction over all the courts as to which police station would fall under which area depending upon the pendency of cases, area and population etc. Since the main assurance was regarding the jurisdiction of Mohan Nagar, the department tried to trace out but it could not find out information about the jurisdiction of Mohan Nagar. However, as per Revenue department Notification dt.17.6.2015, certain areas had been removed from Patel Nagar under West District and had been added in the South West District.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and the Assurance No.18 was kept pending.

Assurance No.:19 Decision: Pending

Starred Question No.:38 - Law, Justice & Leg. Affairs

Dated: 20.11.2015

Hon'ble Member Ms. Alka Lamba had sought information about constitution of Judicial Enquiry Commission on the issue of Women Safety, reducing the minimum age limit for juvenile accused of rape, increasing the number of women judges etc. in reply to which Hon'ble Minister had informed that the proposal regarding constitution of Judicial Enquiry Commission and reducing the minimum age limit for juvenile accused of rape was under

consideration of the Government. To increase the number of Fast Track Courts to quickly dispose of cases of crime against women, data was being collected. As regards increasing the number of women judges in courts, information had been called from Hon'ble High Court of Delhi.

In the Committee meeting held on 24.07.2019, it was informed by Shri Sanjay Kumar Aggarwal, Pr. Secretary (Law) that regarding Assurance No.19, all other issues had been resolved except one issue of Fast Track Courts which was pending.

As regards Fast Track Courts, position was different at present as compared to what it was at the time of assurance. Earlier, proposal to establish 18 Fast Track Courts had gone to the Cabinet but Cabinet had returned the proposal with some objections. Thereafter, fresh Cabinet Note was to be submitted. The issue was being monitored by the High Court also. As per information submitted in reply to a Parliament question recently, as on date, 10 Fast Track Courts were working. There were two types of Fast Track Courts viz. (i) Fast Track Courts for Women Safety and (ii) Fast Track Courts for sessions. After Nirbhaya incident, Fast Track Courts running from Sessions Courts had been converted into Women Safety Courts. Now, Department had received proposal for 16 Fast Track Courts from Women & Child Development Department which was also in the process. At present, 10 Fast Track Courts were functional. Proposal for 18 Fast Track Courts would go to the Cabinet and proposal of Women & Child Development Department for 16 Fast Track Courts was in the process separately.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and Assurance No.19 was kept pending.

Assurance No.:37 Decision: Pending

Unstarred Question No.:76- Power

Dated: 26.11.2015

Hon'ble Member Shri Somnath Bharti had sought information regarding appeal by Delhi Government against revocation of its order by Delhi High Court for audit of Power Distribution Companies by C&AG in reply to which Hon'ble Minister had informed that appeal by Delhi Government in the matter was under consideration.

In the Committee meeting held on 24.07.2019, it was informed by Ms. Padmini Singla, Secretary(Power) that assurance was regarding appeal by Delhi Government against cancellation of its order by Hon'ble High Court for audit of power distribution companies by C& AG. In this matter SLP had been filed but the matter had not been listed till then.

After going through the information made available by the Departmental Representative, the Committee was not satisfied with the reply of the Department and Assurance No.37 was kept pending.

RECOMMENDATIONS:

The Committee reiterates its recommendation that it will be the responsibility of the concerned Departments to furnish complete information with regard to the action taken to fulfil the assurances within the prescribed period.

CONCLUSION:

Place: New Delhi

Date: 21.08.2019

The Committee wishes to place on record and appreciates the fact that there was considerable improvement in the efforts and seriousness on the part of the concerned departments in fulfilment of assurances since the First Report of Government Assurances Committee as adopted by the House on 21.12.2018.

The Committee hopes that with more cooperation and persistent efforts by the concerned departments, the pendency of assurances will be reduced to a considerable extent.

Jitender Singh Tomar

Chairman

Government Assurances Committee

ANNEXURE-I

<u>LIST OF FULFILLED ASSURANCES</u>

S. No.	Assurance/Q.No. & Date	Department	Member	Subject
1.	Assurance No. 72 Starred Q. No. 52 Dated: 24.08.2016	PWD	Shri Madan Lal	Regarding regarding construction of ROB(Railway Over Bridge) to connect Seva Nagar with Lodhi Road and Kotala Mubarakpur
2.	Assurance No. 73 Un-starred Q. No. 39 Dated: 24.08.2016	PWD	Shri Somnath Bharti	Regarding construction of Foot Over Bridge near the gate of IIT, Delhi, Shaniram Mandir, Malviya Nagar
3.	Assurance No. 74 Un-starred Q. No. 43 Dated: 24.08.2016	PWD	Sh. Mohinder Goyal	Regarding proposal of the Government to improve and replenish with greenery the dividers of all the main roads under Rithala Assembly Constituency.
4.	Assurance No. 75 Un-starred Q. No. 46 Dated: 24.08.2016	PWD	Sh. Akhilesh Pati Tripathi	Regarding the scheme of the Government to repair the road/service line at G.T. Karnal Road, Lal Bagh and in front of Rana Pratap Bagh under Model Town Assembly Constituency.
5.	Assurance No. 40 Starred Q. No. 120 Dated: 27.11.2015	PWD	Shri Rajendra Pal Gautam	Regarding Construction of double-way flyover at Seelampur G.T. Road
6.	Assurance No. 42 Unstarred Q. No. 95 Dated: 27.11.2015	PWD	Shri Somnath Bharti	Regarding completion of various works such as repair of footpath, street-lights etc. relating to PWD
7.	Assurance No. 90 Unstarred Q. No. 144 Dated: 10.08.2017	Health	Shri Vijender Garg	Regarding scheme of the Government to start a Polyclinic at a 2700 Sq. Yds Plot at C-Block, Narayana Vihar under Rajender Nagar Assembly Constituency
8.	Assurance No. 51 Un-starred Q. No. 11 Dated: 29.03.2016	Health	Shri Vijender Gupta	Regarding Renovation and filling up of vacant posts in Sabzi Mandi Mortuary.
9.	Assurance No. 05 Starred Q. No. 27 Dated: 30.06.2015	Woman & Child Developme- nt	Ms. Alka Lamba	Regarding steps being taken by the Government to open new Angawadi Centres in Delhi.
10.	Assurance No. 15 Starred Q. No. 11 Dated: 18.11.2015	Food Safety	Shri Adarsh Shastri	Regarding scarcity of sufficient number of trained employees in Food Safety Department and the proposal for its reconstitution.

11.	Assurance No. 30 Starred Q. No.87 Dated: 26.11.2015	Education	Shri Adarsh Shastri and Sh. SomnathBharti	Regarding pass percentage in class 6 to 8 in the academic year 2014-15 and in the mid-term exams.
12.	Assurance No. 31 Starred Q. No.92 Dated: 26.11.2015	Education	Shri Rajendra Pal Gautam	Regarding starting vocational training course/subject in the schools of Delhi Government and opening Skill Development Centres in all the districts of Delhi.
13.	Assurance No. 32 Unstarred Q. No.57 Dated: 26.11.2015	Education	Shri Ved Parkash	Regarding starting new schools in Bawana Assembly Constituency.
14.	Assurance No. 33 Unstarred Q. No.56 Dated: 26.11.2015	Higher Education	Shri Ved Parkash	Regarding starting any higher education institute in Bawana Assembly Constituency.
15.	Assurance No. 34 Unstarred Q. No.60 Dated: 26.11.2015	TTE	Ms. Bhavna Gaur	Regarding establishing Skill University in Delhi.
16.	Assurance No. 35 Starred Q. No.94 Dated: 26.11.2015	Power	Sh. Ajay Dutt	Regarding schemes of Delhi Government to promote Solar Energy and subsidy on production of Solar Energy.
17.	Assurance No. 36 Unstarred Q. No.74 Dated: 26.11.2015	Power	Shri Adarsh Shastri	Regarding alternative energy sources being considered by Delhi Government.
18.	Assurance No. 45 Starred Q. No.107 Dated: 27.11.2015	Finance	Ms. Alka Lamba	Regarding simplification of normal procurement procedure for various Government departments.
19.	Assurance No. 27 Starred Q. No.70 Dated: 24.11.2015	DELHI JAL BOARD	Ms. Bhavna Gaur	Regarding various works relating to Delhi Jal Board in Palam Vihar Assembly Constituency.
20.	Assurance No. 76 Un-starred Q. No.91 Dated: 26.08.2016	Delhi Jal Board	Sh. Pankaj Pushkar	Regarding status of the work of shifting of main sewer line of Malka Ganj Ward-10 from the drain near Hans Raj College.
21.	Assurance No. 77 Un-starred Q. No.92 Dated: 26.08.2016	Delhi Jal Board	Sh. Somnath Bharti	Regarding improvement and expansion of water supply in Malviya Nagar Assembly Constituency.

ANNEXURE-II

LIST OF DROPPED ASSURANCES

S.	Assurance/ Q.No. &	Department	Member	Subject
No	o. Date			
1.	Assurance No. 39	PWD	Shri Shri Dutt	Regarding construction of
	Starred Q. No. 108		Sharma	Underpass at ISBT Road, Shastri
	Dated: 27.11.2015			Park Intersection (Shastri Park
				Red Light).

ANNEXURE-III

LIST OF ASSURANCES KEPT PENDING

_		_	1	
S. No.	Assurance/Q.No. & Date	Department	Member	Subject
1.	Assurance No. 07 Starred Q. No. 07 Dated: 18.11.2015	Urban Development	Shri Ved Parkash	Regarding regularisation of unauthorized colonies in Bawana Assembly Constituency.
2.	Assurance No. 11 Starred Q. No. 19 Dated: 18.11.2015	Urban Development	Shri Adarsh Shastri	Regarding regularisation of unauthorized colonies in Delhi.
3.	Assurance No. 12 Starred Q. No. 101 Dated: 27.11.2015	Urban Development	Ms. Bhavna Gaur	Regarding compensation, alternative place given to the shopkeepers/house owners displaced during the constructions of flyover in Palam Colony under the Palam-Dwarka Flyover Project.
4.	Assurance No. 22 Starred Q. No. 45 Dated: 23.11.2015	Industries	Shri Vijender Gupta	Regarding granting free hold rights of the plots to factory owners who had been allotted these plots under Re-location Scheme.
5.	Assurance No. 46 Starred Q. No. 03 Dated: 29.03.2016	Health	Shri Jagdish Pradhan	Regarding Mohalla Clinics in Delhi.
6.	Assurance No. 47 Supplementary to Starred Q. No.03 Dated: 29.03.2016	Health	Shri Jagdish Pradhan	Regarding opening of Mohalla Clinic in a vacant building of Health Department at Sarai Pipalthala, Ravi Das Marg near Azadpur Mandi.
7.	Assurance No. 48 Supplementary to Starred Q. No.11 Dated: 29.03.2016	Health	Shri Jarnail Singh(Rajouri Garden)	Regarding increasing the bed capacity in the Guru Govind Singh Hospital.
8.	Assurance No. 49 Starred Q. No. 14 Dated: 29.03.2016	Health	Shri Narayan Dutt Sharma	Regarding opening of a hospital in a building in Gautampuri.
9.	Assurance No. 50 Unstarred Q. No.4 Dated: 29.03.2016	Health	Shri S.K. Bagga	Regarding Mohalla Clinics in Delhi.
10	Assurance No. 52 Unstarred Q. No. 15 Dated: 29.03.2016	Health	Shri Jagdeep Singh	Regarding up-gradation of facilities given to patients at Deen Dayal Upadhyay Hospital.
11.	Assurance No. 59 Starred Q. No. 24 Dated: 30.3.2016	PWD	Sh. Somnath Bharti	Regarding dark spots dangerous for women safety and steps taken by the Government such pruning of

				trees, installation of street lights to ensure women safety
12.	Assurance No. 03 Starred Q. No. 24 Dated: 30.3.2016	PWD	Sh. Jagdish Pradhan	Regarding construction of flyover at Wazirabad Road, Bhajanpura Red-light.
13.	Assurance No. 41 Un-starred Q. No. 94 Dated: 27.11.2015	PWD	Ms. Bhavna Gaur	Regarding payment by government of outstanding electricity bills of retired government employees surrendering government accommodation and recovery of that payment from such employees by government since 2005.
14.	Assurance No. 18 Starred Q. No. 28 Dated: 20.11.2015	Law, Justice & Leg. Affairs	Sh. Adarsh Shastri	Regarding reasons for keeping Mohan Nagar area of Dwarka Assembly Constituency under the jurisdiction of Patiala House Court instead of Dwarka Court which was against the principle of jurisdiction under nearest court.
15.	Assurance No. 19 Starred Q. No. 38 Dated: 20.11.2015	Law, Justice & Leg. Affairs	Ms. Alka Lamba	Regarding constitution of Judicial Enquiry Commission on the issue of Women Safety, reducing the minimum age limit for juvenile accused of rape, increasing the number of women judges etc.
16.	Assurance No. 37 Un-starred Q. No.76 Dated: 26.11.2015	Power	Sh. Somnath Bharti	Regarding appeal by Delhi Government against revocation of its order by Delhi High Court for audit of Power Distribution Companies by C&AG.



विधानसभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (छठी विधानसभा)

सरकारी आश्वासन समिति (द्वितीय प्रतिवेदन) दिनांक 23.08.2019 को प्रस्तुत सदन द्वारा दिनांक 26.08.2019 को स्वीकृत

विधानसभा सचिवालय पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

विधान सभा सरकारी आश्वासन समिति

समिति की संरचना

1.	श्री जितेंद्र सिंह तोमर	सभापति
2.	श्री आदर्श शास्त्री	सदस्य
3.	श्री जगदीश प्रधान	सदस्य
4.	श्री मदन लाल	सदस्य
5.	श्री नरेश बलियान	सदस्य
6.	श्री नरेश यादव	सदस्य
7.	श्री प्रकाश	सदस्य
8.	श्री प्रवीण कुमार	सदस्य
9.	श्री सुरेन्द्र सिंह	सदस्य

दिल्ली विधानसभा सचिवालय

1. श्री सी. वेलमुरुगन	सचिव
2. श्री महेंद्र गुप्ता	उप सचिव

<u>अनुक्रमणिका</u>

1. प्राक्कथन	પૃષ્ઠ 1
2. प्रतिवेदन	पृष्ट 2—27
i. पूरे हो चुके आश्वासनों का विवरण	पृष्ट 2−15
ii. छोड़ दिए गए आश्वासनों का विवरण	पृष्ट 16
iii. लंबित आश्वासनों का विवरण	पृष्ट 17—26
3. प्रतिवेदन के परिशिष्ट :	
परिशिष्ट – I (पूरे हो चुके आश्वासनों की सूची)	पृष्ठ 28—29
परिशिष्ट — II (छोड़ दिए गए आश्वासनों की सूची	t) पृष्ट 30
परिशिष्ट — III (लंबित आश्वासनों की सची)	पष्त 31–32

विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सरकारी आश्वासन समिति)

प्राक्कथन

में, दिल्ली विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति का सभापति, समिति द्वारा मुझे अपनी ओर से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किए जाने पर, और सरकारी आश्वासन समिति की प्रथम प्रतिवेदन के सातत्य में, जिसे सदन द्वारा दिनांक 21.12.2018 को स्वीकार किया गया था, यह द्वितीय प्रतिवेदन (छठी विधानसभा) वर्ष 2015 से 2017 (द्वितीय भाग) की अवधि के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

इस प्रतिवेदन पर समिति ने अपनी दिनांक 21.08.2019 को हुई बैठक में विचार किया और इसे स्वीकार किया।

समिति अपने माननीय सदस्यों के प्रति समिति के सुगम कार्यसंचालन में उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए आभारी है। समिति दिल्ली विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति अपना आभार भी रिकॉर्ड पर लाना चाहती है जिन्होंने समय—समय पर बैठकों का प्रबंध किया और इस प्रतिवेदन को समय पर तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराया।

समिति श्री जितेंद्र सिंह तोमर को और उनकी अनुपस्थिति में श्री मदन लाल को सदन में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करती है।

दिल्ली

दिनांकः 21.08.2019

जितेंद्र सिंह तोमर

सभापति

सरकारी आश्वासन समिति

प्रतिवेदन

परिचय

आश्वासन समिति का मुख्य उत्तरदायित्व है सदन में मंत्रियों द्वारा समय—समय पर दिए गए आश्वासनों, वादों और घोषणाओं आदि की पड़ताल करना और इन सबका कितना और कहाँ क्रियान्वयन हुआ है और क्या यह क्रियान्वयन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय के अंदर हुआ है, इस बात की जानकारी देना।

वर्ष 2015—2017 की अविध से संबंधित आश्वासनों पर आगे चर्चा करने के लिए सिमिति ने फरवरी, 2018 से जुलाई, 2019 के बीच में छह बैठकें कीं, जिनमें कुल 38 आश्वासनों पर विचार किया गया। इन बैठकों में सिमिति ने संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण भी माँगे।

समिति ने जिन 38 आश्वासनों पर विचार किया उनमें से 21 आश्वासनों को पूरा हुआ माना गया, एक आश्वासन को छोड़ दिया गया और 16 आश्वासनों को लंबित रखा गया। छठी विधानसभा से संबंधित कुल 53 आश्वासनों पर आश्वासन समिति द्वारा अभी—भी विचार किया जाना शेष है। समिति ने अपना प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2018 को प्रस्तुत किया जिसे सदन द्वारा दिनांक 21.12.2018 को स्वीकार किया गया।

निर्णय : पूर्ण

समिति की बैठक में विचार-विमर्श के बाद जिन आश्वासनों को पूरा हुआ माना गया

समिति द्वारा निम्नलिखित आश्वासनों का परीक्षण किया गया और उन्हें पूर्ण हुआ माना गया :--

आश्वासन संख्या : 72

तारांकित प्रश्न संख्या 52 **– लोक निर्माण विभाग** दिनांक 24.08.2016

माननीय सदस्य श्री मदन लाल द्वारा सेवा नगर को लोधी रोड व कोटला मुबारकपुर के साथ जोड़ने के लिए आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) के निर्माण के संबंध में यह प्रश्न उठाया गया था। इसके संबंध में माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आरओबी का निर्माण कार्य सितंबर,

प्रारंभ होगा और एक महीने के अंदर, अर्थात अप्रेल, 2017 तक पूर्ण हो जाएगा।

दिनांक 16.02.2018 को हुई समिति की बैठक में विभागीय प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस कार्य में रेलवे द्वारा आरओबी के संरचनात्मक नक्शे की स्वीकृति में हुई देरी, मानसून के आने और उसके बाद माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नाले को मिट्टी से भरने की अनुमित देने में हुई देरी के कारण विलंब हुआ। इस समय कार्य प्रगति पर है और इसके अप्रेल, 2018 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

2016 में आरंभ हो जाएगा और मार्च, 2017 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इसकी सडक का निर्माण कार्य

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 72 को पूरा हुआ माना गया। आश्वासन संख्या : 73 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 39 - लोक निर्माण विभाग

दिनांक : 24.08.2016

माननीय सदस्य श्री सोमनाथ भारती ने आईआईटी गेट, शनिधाम मंदिर के पास फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के संबंध में प्रश्न किया जिसके उत्तर में माननीय लोक कल्याण विभाग मंत्री ने आश्वासन दिया कि उक्त फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य दिनांक 31.01.2017 तक पूरा कर लिया जाएगा।

दिनांक 16.02.2018 को हुई समिति की बैठक में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि उक्त फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य दिनांक 09.05.2017 को पूरा कर लिया गया था और इस समय पदयात्रियों द्वारा इसका पूरी तरह से प्रयोग किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 73 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 74 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 43 – लोक निर्माण विभाग

दिनांक : 24.08.2016

माननीय सदस्य श्री मोहिंदर गोयल ने रिठाला विधानसभा क्षेत्र की सभी प्रमुख सड़कों के डिवार्ड्स में सुधार तथा उन्हें हरियाली से भरे जाने के प्रस्ताव के संबंध में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि यह कार्य दिनांक 31.08.2016 तक पूरा कर लिया जाएगा।

दिनांक 16.02.2018 को हुई समिति की बैठक में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र की सभी प्रमुख सड़कों के डिवाइडर्स की मरम्मत व उन्हें हरियाली से भरे जाने का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और संपूर्ण कार्य दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण हो जाएगा।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 74 को पूरा हुआ माना गया। आश्वासन संख्या : 75 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 46 - लोक निर्माण विभाग

दिनांक : 24.08.2016

माननीय सदस्य श्री अखिलेश पित त्रिपाठी ने माडल टाउन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जी.टी. करनाल रोड, लाल बाग तथा राणा प्रताप बाग के सामने की सड़क / सर्विस लेन की मरम्मत के बारे में सरकार की योजना के बारे में जानना चाहा था जिसके उत्तर में लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन सड़कों की मरम्मत का कार्य दिसंबर, 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा।

दिनांक 16.02.2018 को हुई समिति की बैठक में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि लाल बाग में सर्विस रोड मई, 2017 में पूरी कर ली गई है। लाल बाग के सामने जी.टी. करनाल रोड का 256 मीटर का हिस्सा डीएमआरसी को वर्ष 2013 में सौंप दिया गया था जो अभी भी डीएमआरसी के अंतर्गत ही है और डीएमआरसी की परियोजना का कार्य अभी—भी प्रगति पर है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 75 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 40 निर्णय : पूर्ण

तारांकित प्रश्न संख्या : 120 - लोक निर्माण विभाग

दिनांक : 27.11.2015

माननीय सदस्य श्री राजेंद्र पाल गौतम ने सीलमपुर, जी.टी. रोड पर डबल—वे फ्लाइओवर के निर्माण के विषय में जानना चाहा था जिसके उत्तर में माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री ने सूचित किया था कि इस योजना के प्रस्ताव का प्रारूप विचाराधीन है।

दिनांक 03.07.2019 को हुई समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि फ्लाइओवरों का निर्माण सीलमपुर और शास्त्री पार्क में किया जाना है। सीलमपुर में एक 'सिंगल—वे फ्लाइओवर' का निर्माण किया जा चुका है जिसे 'डबल—वे' बनाया जाना है, जबिक शास्त्री पार्क में एक नया फ्लाइओवर बनाया जाना है। इस कार्य का 16.02.2019 को 'अवार्ड' किया जा चुका है और कार्य पूरी गित से चल रहा है। सीलमपुर फ्लाइओवर पर कॉलम्स खड़े किए जा चुके हैं। शास्त्री पार्क फ्लाइओवर पर 'साइडवॉल्स' का काम प्रारंभ हो चुका है। इस परियोजना के पूरे होने की लक्ष्य तिथि 19. 08.2020 है, परंतु कार्य की गित को देखते हुए आशा है कि यह कार्य लक्ष्य तिथि से पहले ही पूरा हो जाएगा।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतृष्ट थी और आश्वासन संख्या 40 को पूरा हुआ माना गया। आश्वासन संख्या : 42 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 95 – लोक निर्माण विभाग

दिनांक : 27.11.2015

माननीय सदस्य श्री सोमनाथ भारती ने (क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में नालियों, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स आदि के मरम्मत—कार्य के बारे में, (ग) दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाइनों से सड़क के किनारे बनी बरसाती पानी की नालियों को कब तक अलग कर दिया जाएगा और (घ) ग्रीनपार्क यू—टर्न की संरचना में सुधार के बारे में जानना चाहा था जिसके उत्तर में लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि यह कार्य उस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

दिनांक 03.07.2019 को हुई समिति की बैठक में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को भाग (क) के बारे में जानकारी दी कि मालवीय नगर की लोक निर्माण विभाग की सड़कों की सूची पहले ही समिति को सौंपी जा चुकी है। सड़कों की मरम्मत का कार्य लगातार चल रहा है। अतिक्रमण मुक्त फुटपाथों की मरम्मत का कार्य पहले ही किया जा चुका है। अतिक्रमण हटाने के लिए सक्षम विभाग से नियमित अंतराल पर पत्र—व्यवहार किया जा रहा है।

- (ग) भाग के संबंध विभागीय प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि सीवर को बरसाती पानी की नालियों के साथ दिल्ली जल बोर्ड ने जोड़ा था जिसके बारे में दिल्ली जल बोर्ड से अनेक बार पत्र—व्यवहार किया गया है। इस संबंध में कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड द्वारा की जानी है।
- (डी) भाग के बारे में विभागीय प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि संबंधित स्थल का यातायात पुलिस के साथ संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16.09.2019 को किया गया था और तदनुसार नक्शा तैयार किया गया जिसे यूटीटीआईपीईसी को दिनांक 7 मई, 2019 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है। उनसे स्वीकृति प्राप्त होने के तत्काल बाद कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 42 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 90 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 144 – स्वास्थ्य विभाग

दिनांक : 10.08.2017

माननीय सदस्य श्री विजेंद्र गर्ग ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के सी—ब्लॉक, नारायणा विहार में 2700 वर्ग गज के भूखंड पर सरकार की पॉलीक्लीनिक प्रारंभ किए जाने की योजना के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया था कि यह कार्य तीन महीने में आरंभ हो जाएगा और इसे 9 महीने में पुरा कर दिया जाएगा।

दिनांक 11.07.2018 को हुई समिति की बैठक में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि मूलतः यह भूखंड दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अस्पताल के लिए आबंटित किया गया था, परंतु बाद में माननीय मंत्री ने इस पर पॉलीक्लीनिक बनाए जाने की बात कही। क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार भूखंड का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिसके लिए उसे आबंटित किया गया है, अतः उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण को इसके 'भू—प्रयोग' को बदलने के लिए लिखा है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 90 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 51 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 11 - स्वास्थ्य विभाग

दिनांक : 29.03.2016

माननीय सदस्य श्री विजेंद्र गुप्ता ने सब्ज़ी मंडी शवगृह में खाली पड़े पदों को भरे जाने के संबंध में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह सूचित किया था कि यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

दिनांक 03.07.2019 को हुई समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि की ओर से यह सूचित किया गया कि सब्ज़ी मंडी शवगृह में फोरेंसिक एक्सपर्ट के चारों पद भरे जा चुके हैं। वर्तमान में सब्ज़ीमंडी शवगृह में कोई पद रिक्त नहीं है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 51 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 05 निर्णय : पूर्ण

तारांकित प्रश्न संख्या : 27 - महिला एवं बाल विकास

दिनांक : 30.06.2015

माननीय सदस्य सुश्री अलका लांबा ने नए आँगनवाड़ी केंद्र खोलने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में जानना चाहा था जिसके उत्तर में माननीय समाज कल्याण मंत्री ने सूचित किया था कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 11,150 आँगनवाड़ी केंद्रों में से 10,897 केंद्र खोले जा चुके हैं और शेष 253 आँगनवाड़ी केंद्र खोले जाने हेतु आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिनांक 04.02.2019 को हुई समिति की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि की ओर से समिति को यह जानकारी दी गई कि विभाग ने भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को यह सूचित किया है कि युक्तियुक्त विश्लेषण के बाद दिल्ली में केवल 10,897 आँगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकता ही पाई गई है और शेष 253 आँगनवाड़ी केंद्र दिल्ली में वांछित नहीं हैं। तत्पश्चात भारत सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 16.11.2018 के द्वारा 10,897 केंद्रों को ही स्वीकृति दी है, जिसकी प्रतिलिपि समिति को प्रस्तुत किए गए आश्वासन के उत्तर के साथ संलग्न की गई है। अतः 253 आँगनवाड़ियों के लिए कार्यकर्ताओं की भरती की कोई आवश्यकता नहीं है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा यह भी सूचित किया गया कि आर्थिक—सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में पोष्टिकता के मानकों में सुधार हेतु आँगनवाड़ी केंद्रों के औचित्यीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और यमुना बैराज के समीप चिल्का खादर में तीन आँगनवाड़ी केंद्र 01.03.2017 को खोले गए हैं।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 05 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 15 निर्णय : पूर्ण

तारांकित प्रश्न संख्या : 11 – खाद्य सुरक्षा

दिनांक : 18.11.2015

माननीय सदस्य श्री आदर्श शास्त्री ने खाद्य सुरक्षा विभाग के पुनर्गठन के बारे में सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानना चाहा था, जहाँ प्रशिक्षित कर्मचारियों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने सूचित किया था कि खाद्य सुरक्षा विभाग प्रशिक्षित कर्मचारियों की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है और कर्मचारियों की भरती के लिए माँगपत्र दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को भेजा जा चुका है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियंत्रण विभाग को मिलाकर एक खाद्य एवं औषधि विभाग बनाने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए दिल्ली डायलॉग कमीशन को भेजा जा चुका है।

दिनांक 27.03.2019 को हुई सिमिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि श्री एल.आर. गर्ग, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ने सिमिति को यह सूचित किया कि विभाग ने सिमिति को दिनांक 28.02.2017 को हुई बैठक में यह बताया था कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 32 स्वीकृत पदो के विरुद्ध विभाग में केवल 06 खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्य कर रहे हैं, और लंबे समय के बाद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिनांक 05.03.2017 को 19 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भरती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। अक्टूबर, 2017 में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 18 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के डोज़ियर भेजे थे जिनमें से सभी को विभाग द्वारा नियुक्त किया जा चुका है। वर्तमान में विभाग में 25 खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

इस समय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के सात रिक्त पदों में से विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पाँच रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है, जो विचाराधीन है।

जहाँ तक खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियंत्रण विभाग के मिलाने का संबंध है तो, प्रस्ताव के प्रारूप को माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया जा चुका है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 15 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 30 निर्णय : पूर्ण

तारांकित प्रश्न संख्या : 87 - शिक्षा

दिनांक : 26.11.2015

माननीय सदस्य श्री आदर्श शास्त्री तथा श्री सोमनाथ भारती ने शैक्षिक सत्र 2014—15 के दौरान कक्षा 6 से 8 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्रतिशत जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने शैक्षिक सत्र 2014—15 के बारे में सूचना दे दी थी और यह बताया था कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बारे में ऑकडे एकत्रित किए जा रहे हैं।

दिनांक 27.03.2019 को हुई समिति की बैठक में श्री संदीप कुमार, सचिव (शिक्षा) की ओर ये यह सूचित किया गयाकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 16 के अंतर्गत 'नो डिटेंशन' के प्रावधान के अंतर्गत कक्षा छह से कक्षा आठ तक के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया। अतः वर्ष 2015—16 में अर्द्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा छह से कक्षा आठ तक शत—प्रतिशत उत्तीर्ण परिणाम रहा। कक्षा छह में 59.46 प्रशित, कक्षा सात में 63.41 प्रतिशत तथा कक्षा आठ में 63.20 प्रतिशत विद्यार्थियों को 33 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हुए।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 30 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 31 निर्णय : पूर्ण

तारांकित प्रश्न संख्या : 92 - शिक्षा

दिनांक : 26.11.2015

माननीय सदस्य श्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / विषय प्रारंभ किए जाने तथा दिल्ली के सभी ज़िलों में कौशल विकास केंद्र खोले जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय उप मुख्य मंत्री ने यह सूचित किया था कि यह सरकार के विचाराधीन है।

दिनांक 27.03.2019 को हुई समिति की बैठक में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि की ओर से यह सूचित किया गया कि 25 विश्वस्तरीय कौशल केंद्रों का प्रस्ताव है जिसमें से छह विश्वस्तरीय कौशल केंद्रों का उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा जनवरी, 2019 में कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता के हट जाने के बाद वे इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और अप्रेल, 2019 तक छह विश्वस्तरीय कौशल केंद्र प्रारंभ हो जाएँगे।

शेष 20 विश्वस्तरीय कौशल केंद्र अगस्त, 2019 से प्रारंभ होने थे। साथ ही, विभाग निजी क्षेत्र के लिए भी नीति तैयार कर रहा है जिसे उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री को प्रस्तुत कर दिया। तृतीय चरण में निजी क्षेत्र के विश्वस्तरीय कौशल केंद्र प्रारंभ किए जाएँगे।

जहाँ तक तीन आईटीआई खोले जाने का प्रस्ताव है, इस संबंध में विभागीय प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि तीन आईटीआई में से दो को विश्वस्तरीय कौशल केंद्रों में परिवर्तित किया जा चुका है जिनके निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है और अगस्त, 2019 तक ये प्रारंभ हो जाएँगे।

एक आईटीआई छतरपुर में थी जो स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध थी और एक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा था। वहाँ भूमि संबंधी विवाद था। संभवतः वह भूमि 'रिज क्षेत्र' के अंतर्गत थी। वह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।

इसके अतिरिक्त विभागीय प्रतिनिधि ने पाँच अन्य पॉलीटेक्निक के बारे में जानकारी दी जो सरकार द्वारा प्रारंभ की जाने वाली थीं।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 31 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 32 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 57 – शिक्षा

दिनांक : 26.11.2015

माननीय सदस्य श्री वेद प्रकाश ने बवाना विधानसभा क्षेत्र में नए स्कूल खोले जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में उप मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव के बारे में सूचित किया था जो सरकार के विचाराधीन था।

दिनांक 27.03.2019 को हुई सिमति की बैठक में श्री संदीप कुमार, सिचव (शिक्षा) द्वारा यह सूचित किया गया कि यह आश्वासन पाँच स्कूलों के बारे में था जिनमें से तीन स्कूलों, सेक्टर 22, रोहिणी, सेक्टर 21, रोहिणी फेज़—3 पूरे किए जा चुके हैं और वे वर्ष 2017—18 से प्रारंभ हो चुके हैं।

मुंगेशपुर और दरयापुर कलाँ के दो स्कूलों के बारे में बताया गया कि इन स्कूलों का नका / ड्राफ्ट स्वीकृत हो चुका है और इसे लोक निर्माण विभाग में जमा कराया जा चुका है। एस्टीमेट लोक निर्माण विभाग से आने हैं। जब और जैसे ही एस्टीमेट प्राप्त होंगे, सैंक्शन जारी कर दी जाएगी और कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 32 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 33 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 56 - उच्चतर शिक्षा

दिनांक : 26.11.2015

माननीय सदस्य श्री वेद प्रकाश ने बवाना विधानसभा क्षेत्र में किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्रारंभ किए जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय उप मुख्य मंत्री ने यह सूचित किया था कि उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था परंतु अदिति महाविद्यालय, जो बवाना के किसी भवन में चल रहा था, को स्थानांतरित किए जाने हेतु बवाना में या समीपस्थ क्षेत्र में भूमि के संबंध में निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

दिनांक 27.03.2019 को हुई समिति की बैठक में श्री संदीप कुमार, सचिव (शिक्षा) द्वारा यह बताया गया कि अदिति महाविद्यालय के स्थानांतरण हेतु उपदेशकौर गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय, दरयापुर कलाँ में आठ एकड़ भूमि को चिह्नित किया गया है, जिसके लिए भूमि को शिक्षा विभाग से उच्चतर शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। परंतु बाद में माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त आठ एकड़ भूमि को दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी सरकारी कॉलेज के लिए प्रयोग किया जाएगा।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 33 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 34 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 60 - प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा

दिनांक : 26.11.2015

माननीय सदस्य सुश्री भावना गौड़ ने दिल्ली में कौशल विश्वविद्यालय खोले जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय उप मुख्यमंत्री ने यह सूचित किया था कि इस संबंध में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। दिनांक 27.03.2019 को हुई समिति की बैठक में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि की ओर से यह सूचित किया गया कि दिल्ली कौशल विश्वविद्यालय का प्रस्ताव वर्ष 2016 में लाया गया था, परंतु उसे रोककर रखा गया था। इसी बीच सेक्टर—3 द्वारका में नेताजी सुभाष कॉलेज का उन्नयन करके उसे विश्वविद्यालय किया जाना था। इसके उन्नयन और इसे पास किए जाने के बाद अधिसूचना जारी की जानी थी, परंतु 'गवर्नमेंट' शब्द की परिभाषा को लेकर कुछ समस्या थी। इस मामले को भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा गया और उनका अंतिम स्पष्टीकरण जुलाई, 2018 में प्राप्त हुआ। अक्टूबर, 2018 में विश्वविद्यालय की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई और इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार जब विभाग को अधिनियम का नमूना प्राप्त हो गया, तो उसी आधार पर माननीय उप मुख्यमंत्री ने निश्चय किया कि इसे 'यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंस' के नाम से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि उन्होंने फिनलैंड और जर्मनी में कुछ विश्वविद्यालय देखे थे। इसी अवधारणा के आधार पर विभाग ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया और और जैसे ही आदर्श आचार सिहता हटी, वे इस कैबिनेट नोट पर आगे कार्य करेंगे।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 34 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 35 निर्णय : पूर्ण

तारांकित प्रश्न संख्या : 94 - ऊर्जा

दिनांक : 26.11.2015

माननीय सदस्य श्री अजय दत्त ने दिल्ली सरकार की सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और सौर ऊर्जा उत्पादन पर अनुदान दिए जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय ऊर्जा मंत्री ने यह सूचित किया था कि एक प्रारूप सौर ऊर्जा नीति तैयार की जा रही है जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। सौर ऊर्जा पर अनुदान का कोई प्रस्ताव नहीं है, परंतु उपभोक्ताओं के बीच सौर ऊर्जा को प्रचारित करने के लिए एक उत्पादन मूलक प्रोत्साहन योजना सरकार के विचाराधीन है।

दिनांक 24.07.2019 को हुई सिमिति की बैठक में सुश्री पद्मिनी सिंगला, सिचव (ऊर्जा) द्वारा यह बताया गया कि इस आश्वासन के दो भाग हैं, (क) ऊर्जा नीति बनाई जानी है और (ग) उत्पादन मूलक प्रोत्साहन योजना। दोनों भाग पूरे किए जा चुके हैं। सौर नीति को दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2016 को अधिसूचित किया जा चुका है और उत्पादन मूलक प्रोत्साहन योजना भी है जिसके अनुसार उपभोक्ताओं को कम से कम 1100 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन पर दो रुपए प्रति यूनिट दिए जाते हैं।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 35 को पूरा हुआ माना गया। आश्वासन संख्या : 36 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 74 - ऊर्जा

दिनांक : 26.11.2015

माननीय सदस्य श्री आदर्श शास्त्री ने उन ऊर्जा विकल्पों के बारे में जानना चाहा था, जिनपर दिल्ली सरकार विचार कर रहे हैं, जिसके उत्तर में माननीय ऊर्जा मंत्री ने यह सूचित किया था कि कचरे से ऊर्जा उत्पादन का एक संयंत्र (16 मे.वा.) ओखला में कार्यरत है और दो अन्य जिनमें से एक (12 मे.वॉ.) गाज़ीपुर में और दूसरा (24 मे.वॉ.) बवाना में निर्माणाधीन हैं। सौर ऊर्जा के लिए एक प्रारूप सौर नीति कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। उपभोक्ताओं में सौर ऊर्जा को प्रचारित करने के लिए एक उत्पादन मूलक प्रोत्साहन योजना भी सरकार के विचाराधीन है।

दिनांक 24.07.2019 को हुई सिमिति की बैठक में सुश्री पद्मिनी सिंगला, सिचव (ऊर्जा) ने सूचित किया कि यह आश्वासन दिल्ली में कचरे से ऊर्जा उत्पादन के नए संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में था। कचरे से ऊर्जा उत्पादन के दो संयंत्र, एक (12 मे.वॉ.) का गाज़ीपुर में और दूसरा (24 मे.वॉ.) का बवाना में क्रमशः अप्रेल तथा फरवरी, 2017 से चालू हो चुके हैं और ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 36 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 45 निर्णय : पूर्ण

तारांकित प्रश्न संख्या : 107 - वित्त

दिनांक : 27.11.2015

माननीय सदस्या सुश्री अलका लांबा ने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सामान्य क्रय—प्रक्रिया के सरलीकरण के बारे में जानना चाहा था जिसके उत्तर में माननीय उप मुख्य मंत्री ने सूचित किया था कि कैबिनेट के निर्णय संख्या 2219 दिनांक 29.09.2015 के अनुसार वित विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया जाना था, जो सार्वजनिक क्रय—अधिनियम (पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट) के बारे में दो महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें देगी।

दिनांक 24.07.2019 को हुई समिति की बैठक में वित विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि उक्त आश्वासन दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में क्रय—प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में तथा इसमें ज़िम्मेदारी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के बारे में था। विभाग ने यह बताया था कि सार्वजनिक क्रय—अधिनियम पर एक समिति गठित की जाएगी जो अपनी सिफारिशें दो महीने के अंदर देगी।

अक्टूबर, 2015 में समिति का गठन किया गया जिसने अपनी सिफारिशें दिसंबर, 2015 में प्रस्तुत कीं। इन सिफारिशों पर विचार—विमर्श किया गया और उन्हें दिल्ली डायलॉग कमीशन के सदस्य श्री हिल्दिया को भी मार्च, 2016 को भी भेजा गया। उन्होंने इन सिफारिशों पर विचार किया और इन पर अपनी टिप्पणी की कि प्रारूप सार्वजिनक क्रय—नीति अधिक सहायक नहीं है और बेहतर होगा कि पुरानी प्रक्रिया का ही पालन किया जाए। इसी बीच मार्च—2017 में सामान्य वित्तीय नियमावली (जनरल फाइनेंशियल रूल्स) अधिसूचित की गई और वित्त विभाग ने अपना मत दिया कि दिल्ली सरकार को जीएफआर (जनरल फाइनेंशियल रूल्स) का पालन करना जारी रखना चाहिए। जीएफआर के चेप्टर IV में वस्तु तथा सेवाओं के क्रय की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। वित्त विभाग ने मार्च, अप्रेल, अगस्त, अक्टूबर तथा दिसंबर, 2018 में विभिन्न पत्राचारों द्वारा सभी विभागों को सूचित किया कि जीएफआर की विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। अगस्त, 2018 में यह स्थिति माननीय मंत्री महोदय को भी स्पष्ट कर दी गई।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 45 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 27 निर्णय : पूर्ण

तारांकित प्रश्न संख्या : 70 - दिल्ली जल बोर्ड

दिनांक : 24.11.2015

माननीय सदस्या सुश्री भावना गौड़ ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जलबोर्ड से संबंधित विभिन्न कार्यों के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने यह सूचित किया था कि (क) दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के निर्माण के कारण हटाई गई 250 मीटर पानी की पाइपलाइन को, दिल्ली मेट्रो द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, फरवरी, 2016 तक दुबारा डाल दिया जाएगा। (ख) जोनल रेवेन्यू ऑफिस (ककरोला) में डेवलपमेंट चार्ज योजना के अंतर्गत नए कनेक्शन के लिए कुल 14318 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 5348 को स्वीकृति दे दी गई है और 8970 आवेदन लंबित हैं जिनके बारे में 30 दिसंबर, 2015 तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। (ग) इन सभी कनेक्शनों को 30 दिसंबर, 2015 तक स्वीकृति दे दी जाएगी। (घ) और (ङ) महावीर एन्क्लेव की कुछ गलियों में पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों के कारण प्रदूषित जल की समस्या के समाधान के लिए सभी एस्टीमेट स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने पर निविदाएँ आमंत्रित की जाएँगी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदल दिया जाएगा। (च) इस कार्य के तीन महीने के अंदर पूरा होने की संभावना थी।

दिनांक 03.07.2019 को हुई समिति की बैठक में :--

भाग (क) के बारे में दिल्ली जलबोर्ड के विभागीय प्रतिनिधि ने सूचित किया कि दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के निर्माण के कारण हटाई गई 250 मीटर पानी की पाइप लाइन को दिसंबर, 2016 में दुबारा डाल दिया गया है, और इस समय यह काम कर रही है। भाग (ख) के बारे में दिल्ली जलबोर्ड के विभागीय प्रतिनिधि ने सूचित किया कि पालम विधानसभा क्षेत्र में 'रिड्यूस्ड डेवलपमेंट चार्ज योजना' के अंतर्गत प्रथम चरण में नए कनेक्शन के लिए 15,294 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 13,032 आवेदन स्वीकृत कर लिए गए और 2262 आवेदनों को विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार पानी के नए कनेक्शन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को निपटा दिया गया है।

भाग (ग) के बारे में दिल्ली जलबोर्ड के विभागीय प्रतिनिधि ने सूचित किया कि पानी का नया कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को दिल्ली सरकार के आदेशानुसार विभिन्न कदम उठाकर सरल बना दिया गया है, जैसे (i) पानी के नए कनेक्शन के लिए आवेदन—प्रपत्र को सरल बनाना, (ii) एक संपत्ति में दस पानी के कनेक्शनों की सीमा को हटाना, (iii) शपथपत्र जमा कराने की शर्त हटाना।

भाग (घ) तथा (ङ) के बारे में दिल्ली जलबोर्ड के विभागीय प्रतिनिधि ने सूचित किया कि महावीर एन्क्लेव में क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदलकर दूषित जल की समस्या का समाधान कर दिया गया है।

भाग (च) के बारे में दिल्ली जलबोर्ड के विभागीय प्रतिनिधि ने सूचित किया कि संबंधित कार्य को पूरा कर लिया गया है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 27 को पूरा हुआ माना गया।

आश्वासन संख्या : 76 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 91 – दिल्ली जल बोर्ड

दिनांक : 26.08.2016

माननीय सदस्य श्री पंकज पुष्कर ने मलका गंज वार्ड—10 की मुख्य सीवर लाइन को हंसराज कॉलेज के समीप के नाले से हटाने के कार्य की स्थिति के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने सूचित किया था कि सीवर लाइन को हटाए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

दिनांक 03.07.2019 को हुई समिति की बैठक में दिल्ली जलबोर्ड के विभागीय प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि सीवरलाइन को मलका गंज चौक से मॉरिस नगर तक डाला जाना था। 1.2 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन को डाला जा चुका है और इसके दोनों किनारों पर अर्थात मलका गंज चौक तथा मॉरिस नगर चौक पर कनेक्शन किए जाने शेष हैं। क्योंकि यह गहरे सीवर का काम था और बरसात का मौसम भी था, अतः यातायात पुलिस यह कहते हुए अनुमित देने से इनकार कर दिया कि यह काम, बरसात का मौसम समाप्त होने पर पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य दिनांक 30.09.2019 के बाद, अर्थात बरसात के मौसम के बाद पूरा किया जाएगा।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 76 को पूरा हुआ माना गया। आश्वासन संख्या : 77 निर्णय : पूर्ण

अतारांकित प्रश्न संख्या : 92- दिल्ली जल बोर्ड

दिनांक : 26.08.2016

माननीय सदस्य श्री सोमनाथ भारती ने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार व उसके विस्तार के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने सूचित किया कि के पीपीपी क्षेत्र में मालवीय नगर वॉटर सप्लाई कंपनी द्वारा जल आपूर्ति में सुधार व विस्तार का कार्य प्रगति पर है। 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य 30 जून, 2017 तक पूरा हो जाएगा।

दिनांक 03.07.2019 को हुई समिति की बैठक में दिल्ली जलबोर्ड के विभागीय प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि उक्त आश्वासन मालवीय नगर पीपीपी परियोजना के संबंध में था। मालवीय नगर के पीपीपी क्षेत्र में; हौज़रानी, जहाँपनाह, बेगमपुर और कुम्हार बस्ती को छोड़कर, जहाँ लगभग 80 प्रतिशत पानी के कनेक्शन अनधिकृत थे और जिसके कारण वहाँ जल आपूर्ति का दोहरा नेटवर्क कार्यरत था; बाकी स्थानों पर जल आपूर्ति के विस्तार का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। उपर्युक्त स्थानों के लिए भी सरकार एक उदार योजना लाई है जिसके अंतर्गत अनधिकृत कनेक्शनों को मात्र रु.1000 / — की एक किस्त का भुगतान करके अधिकृत कर दिया जाएगा। परंतु अभी भी यहाँ कुछ समस्याएँ हैं क्योंकि लोग पुराने कनेक्शन को नए जल आपूर्ति नेटवर्क में नहीं बदलना चाहते हैं। सरकार पुराने जल आपूर्ति नेटवर्क से नए जलआपूर्ति नेटवर्क में बदलने हेतु कोई नई उदार योजना लाने का प्रयास कर रही है, तािक नई जल अपूर्ति के संपूर्ण नेटवर्क को क्रियाशील बनाया जा सके। यह कार्य 30.09.2019 तक पूरा हो जाने की आशा है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को देखने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट थी और आश्वासन संख्या 77 को पूरा हुआ माना गया। आश्वासन संख्या : 39 निर्णय : छोड़ा गया

तारांकित प्रश्न संख्या : 108- लोक निर्माण विभाग

दिनांक : 27.11.2015

माननीय सदस्य श्री श्रीदत्त शर्मा ने आईएसबीटी रोड, शास्त्री पार्क चौराहा (शास्त्री पार्क रेड लाइट) पर अंडरपास के निर्माण के विषय में जानना चाहा था जिसके उत्तर में माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री ने सूचित किया था कि इस स्थान पर अंडरपास बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

दिनांक 03.07.2019 को हुई समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि पुश्ता रोड, खजूरी चौक पर फ्लाइओवर के नीचे एक अंडरपास बनाया जाना था। यह प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया और यूटीटीआईपीईसी द्वारा स्वीकृत किया गया। बाद में, लगभग 3—4 महीने पहले, एनएचएआई ने अक्षरधाम से ट्रोनिका सिटी तक के हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया। एनएचएआई की परियोजना में चार प्रस्ताव थे, सबसे नीचे एक अंडरपास का निर्माण होना था, फिर उसके ऊपर एक फ्लाइओवर बनना था, उसके बाद एक एलीवेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग बनना था और सबसे ऊपर एलीवेटेड मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाना था। विभाग ने उनसे अपने प्रस्ताव को भी इसमें सम्मिलित करने का आग्रह किया क्योंकि यह प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत हो चुका था, परंतु उन्होंने कहा कि क्योंकि यह भाग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है, अतः वे इसे अपने ही ढंग से डिज़ाइन करेंगे।

समिति का विचार था कि क्योंकि इस परियोजना को एनएचएआई द्वारा ले लिया गया है, जो केंद्रीय सरकार की एक एजेंसी है, अतः विभाग के लिए इस आश्वासन को पूरा किया जाना संभव नहीं है। समिति ने सर्वसम्मित से इस आश्वासन को छोड़ देने (ड्रॉप करने) करने का निर्णय लिया। अतः समिति द्वारा आश्वासन संख्या 39 को छोड़(ड्रॉप) दिया गया।

समिति की बैठक में विचार-विमर्श के बाद लंबित रखे गए आश्वासन

समिति द्वारा निम्नलिखित आश्वासनों की जाँच की गई और उन्हें लंबित पाया गया :-

आश्वासन संख्या : 07 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या : 07 -शहरी विकास

दिनांक : 18.11.2015

माननीय सदस्य श्री वेद प्रकाश ने बवाना विधानसभा क्षेत्र में अनिधकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने सूचित किया था कि (ख) सर्वे ऑफ द्वारा अनिधकृत कॉलोनियों की सीमाओं की त्रुटिपूर्ण फोटोग्राफी के कारण अनिधकृत कॉलोनियों की सीमाओं का सीमांकन न हो पाना, एरियल फोटोग्राफी में अनाधिकृत कॉलोनियों के कुछ हिस्सों का न दिखाया जाना आदि तथा भारत सरकार की दिनांक 01.01.2015 की अधिसूचना व उनके पत्र दिनांक 03.07.2015 के पश्चात कॉलोनियों को नियमित किए जाने के लिए दिनांक 01.01.2015 को कम से कम 50 प्रतिशत आबादी होनी चाहिए; इस संबंध में जिओ स्पेटिअल दिल्ली लिमिटेड (जी.एस.डी.एल.) से अद्यतन आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं, (ग) दिनांक 24.03.2008 की अधिसूचना व तदनंतर किए गए संशोधनों के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

समिति की दिनांक 04.02.2019 को हुई बैठक में प्रधान सचिव (शहरी विकास), श्री राजीव यदुवंशी द्वारा समिति को सूचित किया गया कि दिल्ली सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के सरलीकरण हेतु भारत सरकार को लिखे गए पत्र के उत्तर में भारत सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के सीमांकन, अनाधिकृत कॉलोनियों जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व जैसी विस्तृत जानकारी चाही थी। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अनाधिकृत कालोनियों की सीमाओं की ठीक से फोटोग्राफी न किए जाने, अनाधिकृत कॉलोनियों के ले—आउट प्लान में 'ओवर लैपिंग', एरियल फोटोग्राफी में अनधिकृत कॉलोनियों के कुछ हिस्सों को न दिखाए जाने आदि के कारण अनाधिकृत कॉलोनियों का सीमांकन नहीं हो सका, जिसके कारण अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण में विलंब हो रहा है।

यह बताया गया कि अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु तथा इसके लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु यू.ए.वी. ड्रोन की आधुनिकतम तकनीक अपनाए जाने की अनुमित प्रदान कर दी गई है जिसका कार्यान्वयन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा भारत सरकार की 1639 कॉलोनियों (1797 सभी भागों सिहत) के नियमितीकरण हेतु दिनांक 24.03.2008 की गज़ट अधिसूचना में संशोधन हेतु अनुरोध गृह एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में विचाराधीन है। इसके बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 7 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 11 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या : 19 -शहरी विकास

दिनांक : 18.11.2015

माननीय सदस्य श्री आदर्श शास्त्री ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने सूचित किया था कि दिनांक 24.03.2008 की अधिसूचना व तदनंतर किए गए संशोधनों के अनुसार 1639 (1797, सभी भागों सिहत) अनिधकृत कॉलोनियों के नियमिती करण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

समिति की दिनांक 04.02.2019 को हुई बैठक में प्रधान सचिव (शहरी विकास) द्वारा समिति को सूचित किया गया किदिल्ली सरकार द्वारा भारत सरकार की 1639 कॉलोनियों (1797 सभी भागों सिहत) के नियमितीकरण हेतु दिनांक 24.03.2008 की गज़ट अधिसूचना में संशोधन हेतु अनुरोध गृह एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में विचाराधीन है। इसके बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 11 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 12 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या : 101 -शहरी विकास

दिनांक : 27.11.2015

माननीय सदस्य सुश्री भावना गौड़ ने पालम—द्वारका फ्लाइओवर परियोजना के अंतर्गत पालम कॉलोनी में फ्लाइओवर के निर्माण के दौरान विस्थापित दुकानदानों / मकान मालिकों को वैकल्पिक स्थान, क्षितपूर्ति राशि दिए जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने सूचित किया था कि इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकारण से जानकारी प्राप्त करने के बाद सूचित किया जाएगा।

समिति की दिनांक 04.02.2019 को हुई बैठक में प्रधान सचिव (शहरी विकास) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि पालम द्वारका फ्लाइओवर के निर्माण के दौरान, 59 दुकानों व मकान, जो इसकी सीध में आ रहे थे, गिरा दिए गए थे और रु.48,43,430 / — की राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि एवं भवन विभाग को दी गई थी तािक इसे क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रभावित व्यक्तियों को दिया जा सके। विभागीय प्रतिनिधि ने प्रभावित व्यक्तियों को दिए गए प्लॉटों का ब्यौरा भी स्पष्ट किया, जैसा कि विभाग द्वारा समिति को दी गई जानकारी में प्रदर्शित है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 12 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 22 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या : 45 – उद्योग

दिनांक : 23.11.2015

माननीय सदस्य श्री विजेंद्र गुप्ता ने पुनःस्थापन योजना के अंतर्गत फैक्टरी मालिकों को दिए गए प्लॉटों पर फ्री—होल्ड अधिकार दिए जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

समिति की दिनांक 04.02.2019 को हुई बैठक में श्री अरुण मिश्र, विशेष आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा समिति को सूचित किया गया कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2005 में एक योजना लागू की थी जिसके अंतर्गत फैक्टरी मालिकों को फ्री—होल्ड अधिकार दिए गए थे, परंतु क्योंकि यह एक नई योजना थी और अधिकतर फैक्टरी मालिकों ने फैक्टरी बिल्डिंग के पूरा न होने के कारण अपनी फैक्टरियों को वहाँ पुनःस्थापित नहीं किया, अतः उन्हें ये अधिकार नहीं दिए गए हैं।

अब, क्योंकि अधिकतर पुनःस्थापित फैक्टरी मालिक फैक्टरी बिल्डिंग पूरी हो जाने के बाद वहाँ चले गए हैं इसलिए पुनःस्थापित फैक्टरी मालिकों पर इस योजना को लागू किए जाने का एक प्रस्ताव रखा गया है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 22 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 46 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या : 03 -स्वास्थ्य विभाग

दिनांक : 29.03.2016

माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रधान ने दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने सूचित किया था कि फरवरी, 2016 तक पीरागढ़ी में एक मोहल्ला क्लीनिक खोला गया था और दिनांक 31.03.2016 तक 100 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने प्रस्तावित थे और वित्तीय वर्ष 2016—17 में 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने का प्रस्ताव था।

समिति की दिनांक 03.07.2019 को हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग के विभागीय प्रतिनिधि द्वारा समिति को सूचित किया गया कि समिति को पहले दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में 192 मोहल्ला क्लीनिक (95 किराए के परिसर में तथा 97 पोर्टा केबिन में) कार्यरत थे जिसकी सूची समिति को प्रस्तुत कर दी गई थी, परंतु उस सप्ताह के दौरान कार्यरत मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या 192 से बढ़कर लगभग 200 हो गई, जिनके लिए नए भरती किए गए डॉक्टर तथा एएनएम उपलब्ध कराए गए। 200 कार्यरत मोहल्ला क्लीनिकों की सूची समिति को प्रदान कर दी जाएगी। साथ ही, 151 नए स्थल भी लोक निर्माण विभाग को मोहल्ला क्लीनिकों के निर्माण हेतु हस्तांतरित कर दिए गए हैं। जैसा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा आश्वासित किया गया है, वे इन नए मोहल्ला क्लीनिकों को आगामी 20–25 दिन में हस्तांतरित कर देंगे। इन 151 नए मोहल्ला क्लीनिकों को क्रियाशील बनाने के लिए, उनकी सूची सी.डी.एम.ओज़ को दे दी गई है जो डॉक्टरों के पैनल से उनकी भरती करेंगे। इन 151 नए मोहल्ला क्लीनिकों के लिए एएनएम विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। दवाओं के लिए, सीडीएमओ इन 151 मोहल्ला क्लीनिकों के लिए दवा खरीदने के आदेश जारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने मोहल्ला क्लीनिकों हेतु किराए के परिसर के लिए विज्ञापन भी जारी किया है जिसके उत्तर में प्रति सप्ताह उन्हें निविदा पेटी में तीन से चार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिनको विभाग द्वारा छाँटा जाएगा।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 46 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 47 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या ०३ का पूरक प्रश्न-स्वास्थ्य विभाग

दिनांक : 29.03.2016

माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रधान ने सराय पीपलथला, रवि दास मार्ग, आज़ादपुर मंडी के समीप स्वास्थ्य विभाग के खाली भवन में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने सूचित किया था कि सराय पीपलथला का उक्त स्थान वर्ष के अंत तक पॉलीक्लिनिक में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

समिति की दिनांक 03.07.2019 को हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग के विभागीय प्रतिनिधि द्वारा समिति को सूचित किया गया कि सराय पीपलथला में पॉलीक्लिनिक का भवन तैयार है। पानी और बिजली के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की नियुक्ति के बाद पॉलीक्लीनिक तुरंत प्रारंभ कर दिया जाएगा।

विभागीय प्रतिनिधि ने यह भी सूचित किया कि नियुक्ति प्रक्रिया लंबी हो गई है क्योंकि पहले पद सृजन करना होगा क्योंकि अभी कोई पद नहीं है। पद—सृजन के बाद भरती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इस प्रक्रार अभी पद—सृजन की प्रक्रिया चल रही है।

यह पूछे जाने पर कि यह कब तक हो जाएगा, यह सूचित किया गया कि यह इस वर्ष की समाप्ति के पहले हो जाएगा।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 47 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 48 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या 11 का पूरक प्रश्न-स्वास्थ्य विभाग

दिनांक : 29.03.2016

माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के विस्तार सिहत संपूर्ण विस्तार योजना, 31.12.2017 तक पूरी हो जाएगी।

समिति की दिनांक 03.07.2019 को हुई बैठक में गुरु गोविंदिसंह अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक श्री एस.सी. चेतल द्वारा यह सूचित किया गया कि पिरयोजना प्रभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार रु.172 करोड़ के एक्सपेंडीचर की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। पिरयोजना के लिए प्यावरण और वन संबंधी अनापित भी प्राप्त कर ली गई है। निवदाएँ घोषित की जा चुकी थीं, परंतु एसडीएमसी द्वारा नक्शा निरस्त किए जाने के कारण निविदा अवार्ड नहीं की जा सकी। एसडीएमसी द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए नक्शे एसडीएमसी को पुनः प्रस्तुत कर दिए गए हैं और कंसल्टेंट द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार दिनांक 24 जुलाई, 2019 तक एसडीएमसी द्वारा नक्शे स्वीकृत होने की संभावना है। जैसे ही एसडीएमसी से नक्शों की स्वीकृति प्राप्त होगीकार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। एजेंसी को कार्य अवार्ड होने के बाद 18 महीने के अंदर कार्य पूरा हो जाएगा।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 48 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 49 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या : 14 -स्वास्थ्य विभाग

दिनांक : 29.03.2016

माननीय सदस्य श्री नारायण दत्त शर्मा ने गौतमपुरी के एक भवन में अस्पताल खोले जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने सूचित किया था कि गौतमपुरी में निर्मित भवन अस्पताल के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य केंद्र/औषधालय के लिए था। हालाँकि उस भवन में एक पॉलीक्लिनिक खोलने का प्रस्ताव है जो वर्ष 2016 के अंत तक प्रारंभ हो जाएगा।

समिति की दिनांक 11.07.2018 को हुई बैठक में विभागीय प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि गौतमपुरी में औषधालय के लिए निर्मित भवन का प्रयोग पॉलीक्लिनिक खोलने के लिए करना तय हुआ था, जिसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अनुमित प्रदान कर दी थी। तदनुसार इसे 94 औषधालयों की सूची में सिम्मिलित किया गया था जिनका उन्नयन पॉलीक्लिनिक के रूप में करना था। केबिनेट ने इसकी स्वीकृति पहले ही दे दी है और आगे की कार्रवाई सैंक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद लोक निर्माण विभाग को करनी है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 49 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 50 निर्णय : लंबित

अतारांकित प्रश्न संख्या : 04 -स्वास्थ्य विभाग

दिनांक : 29.03.2016

माननीय सदस्य श्री एस.के. बग्गा ने दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने सूचित किया था कि दिल्ली में दिनांक 31.03.2016 तक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 मोहल्ला क्लीनिक प्रस्तावित हैं और वित्तीय वर्ष 2016—17 के दौरान 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने प्रस्तावित हैं।

समिति की दिनांक 03.07.2019 को हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग के विभागीय प्रतिनिधि द्वारा समिति को सूचित किया गया कि समिति को पहले दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में 192 मोहल्ला क्लीनिक (95 किराए के परिसर में तथा 97 पोर्टा केबिन में) कार्यरत थे जिसकी सूची समिति को प्रस्तुत कर दी गई थी, परंतु उस सप्ताह के दौरान कार्यरत मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या 192 से बढ़कर लगभग 200 हो गई, जिनके लिए नए भरती किए गए डॉक्टर तथा एएनएम उपलब्ध कराए गए। 200 कार्यरत मोहल्ला क्लीनिकों की सूची समिति को प्रदान कर दी जाएगी। साथ ही, 151 नए स्थल भी लोक निर्माण विभाग को मोहल्ला क्लीनिकों के निर्माण हेतु हस्तांतरित कर दिए गए हैं। जैसा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा आश्वासित किया गया है, वे इन नए मोहल्ला क्लीनिकों को आगामी 20—25 दिन में हस्तांतरित कर देंगे। इन 151 नए मोहल्ला क्लीनिकों को क्रियाशील बनाने के लिए, उनकी सूची सी.डी.एम.ओज़ को दे दी गई है जो डॉक्टरों के पैनल से उनकी भरती करेंगे। इन 151 नए मोहल्ला क्लीनिकों के लिए एएनएम विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। दवाओं के लिए, सीडीएमओ इन 151 मोहल्ला क्लीनिकों के लिए दवा खरीदने के आदेश जारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने मोहल्ला क्लीनिकों हेतु किराए के परिसर के लिए विज्ञापन भी जारी किया है जिसके उत्तर में प्रति सप्ताह उन्हें निविदा पेटी में तीन से चार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिनको विभाग द्वारा छाँटा जाएगा।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 50 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 52 निर्णय : लंबित

अतारांकित प्रश्न संख्या : 15 -स्वास्थ्य विभाग

दिनांक : 29.03.2016

माननीय सदस्य श्री जगदीप सिंह ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के उन्नयन के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री ने सूचित किया था कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लेप्रोस्कोपी, एम.आर.आई मशीन, नई एक्स—रे मशीन लगाने, आइ.सी.यू. के विस्तार तथा बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

समिति की दिनांक 03.07.2019 को हुई बैठक में विभागीय प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि पिछले महीने दिल्ली विकास प्राधिकरण से 3.5 एकड़ ज़मीन ले ली गई है। उस ज़मीन पर चारदीवारी बनाए जाने के लिए पी.ई. जमा करा दी गई है। कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा चुकी है और नक्शा तैयार कर लिया गया है। पी.ई. जमा कराए जाने के बाद अब अगला कदम उठाया जाएगा।

सीटी स्कैन और एम.आर.आई. मशीनों आदि के बारे में यह सूचित किया गया कि ये 2011 से खराब पड़ी हैं। इसके लिए फाइल स्वास्थ्य विभाग में भेजी गई थी जिस पर माननीय मंत्री ने कुछ प्रश्न किए और इसे पी.पी.पी. मोड में करने के लिए कहा जिसकी प्रक्रिया जारी है। इस स्थिति में ये सेवाएँ नज़दीकी डायग्नोस्टिक सेंटरों से लिए जाने की अनुमित प्राप्त करने के लिए फाइल को पुनः भेजा गया है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 52 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 59 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या : 24 -लोक निर्माण विभाग

दिनांक : 30.03.2016

माननीय सदस्य श्री सोमनाथ भारती ने महिलाओं के लिए खतरनाक, अंधेरे स्थलों के बारे में तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों जैसे पेड़ों की छँटाई, पथ—प्रकाश की व्यवस्था के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय लोक निर्माण मंत्री ने सूचित किया था कि दिल्ली नगर निगम से संबंधित कुल 45 अंधकारमय हिस्से हैं जिनमें से अब 38 पर प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई है। चार अन्य अंधकारमय हिस्सों पर डीएमआरसी द्वारा कार्य किया जा रहा है और लोक निर्माण विभाग का कार्य भी चल रहा है जो दिनांक 30.04.2016 तक पूरा हो जाएगा।

समिति की दिनांक 16.02.2018 को हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग के विभागीय प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि जैसा आश्वासन दिया गया था, लोक निर्माण विभाग ने पहले ही तीन बचे हुए अँधेरे स्थलों पर अपना कार्य पूरा कर लिया है। जब और जहाँ भी पेड़ों की टहनियाँ बढ़ जाने के कारण पर्याप्त प्रकाश में बाधा की शिकायत प्राप्त होती है, वहाँ पेडों की छँटाई नियमित रूप से की जाती है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 59 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 03 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या : 24 -लोक निर्माण विभाग

दिनांक : 30.06.2015

माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रधान ने वज़ीराबाद रोड, भजनपुरा रेडलाइट पर फ्लाइओवर के बारे में जानना चाहा था, जिसके उत्तर में माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने सूचित किया था कि भजनपुरा रेडलाइट पर फ्लाइओवर के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

समिति की दिनांक 03.07.2019 को हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग के विभागीय प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि पूरे मंगल पांडेय रोड पर तीन प्रस्ताव हैं —(1) भजनपुरा पर एक फ्लाइओवर, (2) गगन सिनेमा, नन्द नगरी पर एक फ्लाइओवर और (3) लोनी रोड पर एक अंडरपास।

भजनपुरा में फ्लाइओवर मेट्रो के साथ बनेगा क्योंकि वहाँ मेट्रो लाइन है। अंडरपास और दूसरा फ्लाइओवर का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। इन प्रस्तावों के लिए एस्टीमेट दो भागों में लो.नि.वि. सचिवालय में जमा करा दिए गए थे जहाँ से उन्हें वित्त विभाग में भेज दिया गया था। ये एस्टीमेट कुछ टिप्पणियों के साथ वापस कर दिए गए थे जिन्हें दिनांक 13.05.2019 को पुनः जमा करा दिया गया था।

यह पूछे जाने पर कि ये परियोजनाएँ कब प्रारंभ होंगी, विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि माननीय मंत्री इन परियोजनाओं को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं।

ई.पी.सी. मोड में निविदाओं की तैयारी प्रारंभ हो गई थी। जुलाई/अगस्त 2019 तक इन्हें पूरा कर लिया जाएगा और वर्ष 2019 के अंत तक सैंक्शन जारी कर दी जाएगी और निविदा प्रदान कर दी जाएगी।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 03 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 41 निर्णय : लंबित

अतारांकित प्रश्न संख्या : 94 -लोक निर्माण विभाग

दिनांक : 27.11.2015

माननीय सदस्य सुश्री भावना गौड़ ने (घ) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास छोड़ने के बाद बिजली के बकाया बिलों का सरकार द्वार भुगतान किए जाने, (ङ) ऐसे कर्मचारियों से उक्त भुगतान की वसूली किए जाने के संबंध में जानना चाहा था, जिसके बारे में माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री ने सूचित किया था कि (घ) गुलाबी बाग आवासीय इकाइयों की सूची उत्तर के साथ संलग्न कर दी गई है और अन्य इकाइयों से जानकारी एकत्रित की जा रही है, (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

समिति की दिनांक 03.07.2019 को हुई बैठक में :

भाग (घ) के बारे में लोक निर्माण विभाग के विभागीय प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि सचिवालय से निदेश प्राप्त होने पर रु.7,55,588 / — का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था, जिसका विवरण समिति को प्रस्तुत कर दिया गया था।

भाग (ङ) के बारे में लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि इस जानकारी का संबंध संपदा विभाग से है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 41 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 18 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या : 28 -विधि, न्याय एवं विधायी कार्य

दिनांक : 20.11.2015

माननीय सदस्य श्री आदर्श शास्त्री ने द्वारका विधानसभा क्षेत्र के मोहन नगर क्षेत्र को द्वारका कोर्ट के स्थान पर पटियाला हाउस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में रखने के संबंध में जानना चाहा था, जो समीपतम कोर्ट के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसके बारे में माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री ने सूचित किया था कि यह मामला सरकार के संज्ञान में है और पश्चिम ज़िले के कुछ क्षेत्रों को दक्षिण—पश्चिम ज़िले में स्थानांतरित किए जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

समिति की दिनांक 03.07.2019 को हुई बैठक में श्री संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि) द्वारा यह सूचित किया गया कि मुद्दा समीपस्थ कोर्ट के क्षेत्राधिकार का है। समस्या यह है कि हालाँकि मोहन नगर द्वारका कोर्ट के अंतर्गत आता है परंतु यह पटियाला कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है। राजस्व विभाग ने समय—समय पर कोर्ट के क्षेत्राधिकार के संबंध में अधिसूचनाएँ जारी की हैं। उन्हें इसकी भी कुछ जानकारी थी कि उच्च न्यायालय ने भी विभिन्न कोर्टों के क्षेत्राधिकार के मुद्दे के संबंध में अधिसूचनाएँ जारी की थीं। हालाँकि यह पुराना अभिलेख था, परंतु विभाग ने प्रयास करके माननीय उच्च न्यायालय की उक्त अधिसूचना को ढूँढ़ निकाला और उसी दिन माननीय विधि मंत्री से उस अधिसूचना हेतु स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। विभिन्न क्षेत्रों के अलग—अलग कोर्टों के क्षेत्राधिकार का मामला या तो उच्च न्यायालय की संस्तुति पर अथवा राजस्व विभाग की संस्तुत के आधार पर तय किया गया था। क्षेत्राधिकार का मामला राजस्व विभाग के उपायुक्त द्वारा देखा जा रहा था और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सभी कोर्टों पर है, कि कौन—सा पुलिस स्टेशन किस क्षेत्र में पड़ेगा, जोकि लंबित मामलों, क्षेत्र तथा जनसंख्या आदि पर निर्भर करता है। क्योंकि मुख्य आश्वासन मोहन नगर के क्षेत्राधिकार के बारे में था, तो इस बारे में विभाग ने तलाशने का प्रयास किया परंतु मोहन नगर के क्षेत्राधिकार के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। हालाँकि राजस्व विभाग की दिनांक 17.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार पश्चिम ज़िला के अंतर्गत पटेल नगर के कुछ क्षेत्रों को हटाकर दक्षिण—पश्चिम ज़िला में जोड़ा गया है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 18 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 19 निर्णय : लंबित

तारांकित प्रश्न संख्या : 38 -विधि, न्याय एवं विधायी कार्य

दिनांक : 20.11.2015

माननीय सदस्य सुश्री अलका लांबा महिला सुरक्षा, बलात्कार के किशोर—आरोपियों के संबंध में न्यूनतम आयु को कम करने, महिला जजों की संख्या बढ़ाने, आदि के मुद्दों पर ज्युडिशियल इन्क्वायरी कमीशन के गठन के संबंध में जानना चाहा था, जिसका उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने सूचित किया ज्युडिशियल इन्क्वायरी कमीशन के गठन तथा बलात्कार के किशोर—आरोपियों के संबंध में न्यूनतम आयु घटाए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्टों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। जहाँ तक कोर्टों में महिला जजों की संख्या बढ़ाए जाने की बात है तो इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से जानकारी माँगी गई है।

समिति की दिनांक 24.07.2019 को हुई बैठक में श्री संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि) द्वारा यह सूचित किया गया कि आश्वासन संख्या 19 के संबंध में केवल फास्ट ट्रेक कोर्ट को छोड़कर सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है।

जहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट का संबंध है तो आश्वासन दिए जाने के समय की स्थिति की तुलना में आज की स्थिति अलग है। पहले 18 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया था, परंतु कैबिनेट द्वारा कुछ आपित्तियों के साथ इसे वापस भेज दिया। इसके बाद नया कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया जाना था। इस मुद्दे को उच्च न्यायालय द्वारा भी देखा जा रहा है। एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में दी गई सूचना के अनुसार आज की तिथि में दस फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्य कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट दो प्रकार के थे, (i) मिहला—सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और (ii) सत्र के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट। निर्भया कांड के बाद सेशन कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्टों को भी मिहला सुरक्षा कोर्टों में परिवर्तित कर दिया गया था। अब विभाग को मिहला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 16 फास्ट ट्रैक कोर्टों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और उसकी भी प्रक्रिया जारी है। इस समय 10 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं। 18 फास्ट ट्रैक कोर्टों का प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और 16 फास्ट ट्रेक कोर्टों का मिहला एवं बाल विकास विभाग का प्रस्ताव अलग से प्रक्रियांतर्गत है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 19 को लंबित रखा गया।

आश्वासन संख्या : 37 निर्णय : लंबित

अतारांकित प्रश्न संख्या : 76 -ऊर्जा

दिनांक : 26.11.2015

माननीय सदस्य श्री सोमनाथ भारती ने दिल्ली सरकार द्वारा ऊर्जा वितरण कंपनियों के सी एंड एजी द्वारा ऑडिट किए जाने संबंधी अपने आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के विरुद्ध अपील किए जाने बारे में जानना चाहा था, जिसका उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने सूचित किया इस संबंध में अपील किए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

समिति की दिनांक 24.07.2019 को हुई बैठक में सुश्री पद्मिनी सिंगला, सचिव (ऊर्जा) ने सूचित किया कि आश्वासन दिल्ली सरकार द्वारा ऊर्जा वितरण कंपनियों के सी एंड एजी द्वारा ऑडिट किए जाने संबंधी आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के विरुद्ध अपील दायर करने के संबंध में था। इस मामले में एस.एल.पी. दाखिल कर दी गई है, परंतु अब तक मामला लिस्ट नहीं हुआ था।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार करने के बाद समिति विभाग के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और आश्वासन संख्या 37 को लंबित रखा गया।

संस्तुतियाँ :

समिति अपनी संस्तुति को दुहराती है कि आश्वासन को निर्धारित समय में पूरा किए जाने के संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबद्ध विभाग का होगा।

निष्कर्ष:

समिति इस तथ्य की सराहना रिकॉर्ड पर लाना चाहती है कि सरकारी आश्वासन समिति के प्रथम प्रतिवेदन, जिसे सदन द्वारा 21.12.2018 को स्वीकार किया गया था, के बाद से संबंद्ध विभागों की ओर से आश्वासनों की पूर्ति हेतु प्रयासों और गंभीरता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

समिति आशा करती है कि संबद्ध विभागों द्वारा और सहयोग और सतत प्रयासों से लंबित आश्वासनों की संख्या उल्लेखनीय स्तर तक कम हो जाएगी।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21.08.2019

जितेंद्र सिंह तोमर

सभापति

सरकारी आश्वासन समिति

परिशिष्ट -1

पूरे हो चुके आश्वासनों की सूची

<u>क्र</u> .	आश्वासन / प्रश्न सं0 व	विभाग	सदस्य	विषय
सं.	दिनांक			
1.	आश्वासन सं0 72 तारांकित प्रश्न सं0 52 दिनांक 24.08.2016	लो.नि.वि.	श्री मदन लाल	सेवा नगर को लोधी रोड व कोटला मुबारकपुर से जोड़ने वाला रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के संबंध में।
2.	आश्वासन सं0 73 अतारांकित प्रश्न सं0 39 दिनांक 24.08.2016	लो.नि.वि.	श्री सोमनाथ भारती	आईआईटी, दिल्ली के गेट के पास,शनिराम मंदिर, मालवीय नगर में फुटओवर ब्रिज के निर्माण के संबंध में।
3.	आश्वासन सं0 74 अतारांकित प्रश्न सं0 43 दिनांक 24.08.2016	लो.नि.वि.	श्री मोहिंदर गोयल	रिठाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी मुख्य सड़कों के डिवाडरों के सुधार व उन्हें हरियाली से भरने के संबंध में।
4.	आश्वासन सं0 75 अतारांकित प्रश्न सं0 46 दिनांक 24.08.2016	लो.नि.वि.	श्री अखिलेश पति त्रिपाठी	मॉडलटाउन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जी.टी. करनाल रोड, लाल बाग व राणा प्रताप बाग के सामने सड़कों / सर्विस लाइन की मरम्मत करवाए जाने की सरकार की योजना के बारे में।
5.	आश्वासन सं0 40 तारांकित प्रश्न सं0 120 दिनांक 27.11.2015	लो.नि.वि.	श्री राजेंद्र पाल गौतम	सीलमपुर जी.टी. रोड पर डबल वे फ्लाइओवर के निर्माण के बारे में।
6.	आश्वासन सं0 42 अतारांकित प्रश्न सं0 95 दिनांक 27.11.2015	लो.नि.वि.	श्री सोमनाथ भारती	लो.नि.वि. से संबंधित विभिन्न कार्यों, जैसे फुटपाथ की मरम्मत, स्ट्रीट—लाइट आदि के पूरा होने के बारे में।
7.	आश्वासन सं0 90 अतारांकित प्रश्न सं0 144 दिनांक 10.08.2017	स्वास्थ्य	श्री विजेंद्र गर्ग	राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सी—ब्लॉक, नारायणा विहार में 2700 वर्ग गज के प्लॉट पर पॉलीक्लिनिक प्रारंभ करने की सरकारी योजना के संबंध में।
8.	आश्वासन सं0 51 अतारांकित प्रश्न सं0 11 दिनांक 29.03.2016	स्वास्थ्य	श्री विजेंद्र गुप्ता	सब्ज़ी मंडी शवगृह के नवीकरण व वहाँ के रिक्त पद भरने के संबंध में।
9.	आश्वासन सं0 05 तारांकित प्रश्न सं0 27 दिनांक 30.06.2015	महिला एवं बाल विकास	सुश्री अलका लांबा	दिल्ली में नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में।

10.	आश्वासन सं0 15 तारांकित प्रश्न सं0 11 दिनांक 18.11.2015	खाद्य सुरक्षा	श्री आदर्श शास्त्री	खाद्य सुरक्षा विभाग के पुनर्गठन व इसमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के बारे में।
11.	आश्वासन सं0 30 तारांकित प्रश्न सं0 87 दिनांक 26.11.2015	शिक्षा	श्री आदर्श शास्त्री व श्री सोमनाथ भारती	शैक्षिणिक वर्ष 2014—15 में व अद्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 6 से 8 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत के बारे में।
12.	आश्वासन सं0 31 तारांकित प्रश्न सं0 92 दिनांक 26.11.2015	शिक्षा	श्री राजेंद्र पाल गौतम	दिल्ली सरकार के विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/विषय प्रारंभ करने तथा दिल्ली के सभी ज़िलों में कौशल विकास केंद्र खोलने के संबंध में।
13.	आश्वासन सं0 32 अतारांकित प्रश्न सं0 57 दिनांक 26.11.2015	शिक्षा	श्री वेद प्रकाश	बवाना विधानसभा क्षेत्र में नए विद्यालय खोले जाने के संबंध में।
14.	आश्वासन सं0 33 अतारांकित प्रश्न सं0 56 दिनांक 26.11.2015	उच्चतर शिक्षा	श्री वेद प्रकाश	बवाना विधानसभा क्षेत्र में कोई उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रारंभ किए जाने के संबंध में।
15.	आश्वासन सं0 34 अतारांकित प्रश्न सं0 60 दिनांक 26.11.2015	टी.टी.ई.	सुश्री भावना गौड़	दिल्ली में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में।
16.	आश्वासन सं0 35 तारांकित प्रश्न सं0 94 दिनांक 26.11.2015	ऊर्जा	श्री अजय दत्त	दिल्ली सरकार की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने व सौर ऊर्जा उत्पादन पर सबसिडी देने की योजना के संबंध में।
17.	आश्वासन सं0 36 अतारांकित प्रश्न सं0 74 दिनांक 26.11.2015	ক্ত ৰ্जা	श्री आदर्श शास्त्री	दिल्ली सरकार द्वारा विचाराधीन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के संबंध में।
18.	आश्वासन सं0 45 तारांकित प्रश्न सं0 107 दिनांक 27.11.2015	वित्त	सर्वश्री अलका लांबा	विभिन्न सरकारी विभागों के लिए सामान्य क्रय—प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।
19.	आश्वासन सं0 27 तारांकित प्रश्न सं0 70 दिनांक 24.11.2015	दिल्ली जल बोर्ड	सुश्री भावना गौड़	पालम विहार विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के विभिन्न कार्यों के बारे में।
20.	आश्वासन सं0 76 अतारांकित प्रश्न सं0 91 दिनांक 26.08.2016	दिल्ली जल बोर्ड	श्री पंकज पुष्कर	मलकागंज वार्ड—10 की मुख्य सीवरलाइन को हंसराज कॉलेज के समीपस्थ नाले से हटाने के कार्य की स्थिति के बारे में।
21.	आश्वासन सं0 77 अतारांकित प्रश्न सं0 92 दिनांक 26.08.2016	दिल्ली जल बोर्ड	श्री सोमनाथ भारती	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार व उसका विस्तार।

परिशिष्ट – 2

छोड़ दिए गए आश्वासनों की सूची

क्र.	आश्वासन / प्रश्न सं0 व	विभाग	सदस्य		विषय
सं.	दिनांक				
1.	आश्वासन संख्या. ३९	लो.नि.वि.	श्री	श्रीदत्त	आई.एस.बी.टी. रोड, शास्त्री पार्क
	तारांकित प्रश्न सं0 108		शर्मा		चौराहे (शास्त्री पार्क रेडलाइट) पर
	दिनांक : 27.11.2015				अंडरपास बनाए जाने के संबंध में।

परिशिष्ट–3

लंबित रखे गए आश्वासनों की सूची

क्र. सं.	आश्वासन / प्रश्न संo व दिनांक	विभाग	सदस्य	विषय
1.	आश्वासन संख्या. ०७	शहरी विकास	श्री वेद प्रकाश	बवाना विधानसभा क्षेत्र में
'-	तारांकित प्रश्न सं0 07	राहरा विपरारा	त्रा ५५ त्रपगरा	अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित
	दिनांक : 18.11.2015			किए जाने के संबंध में।
2.	आश्वासन संख्या. 11	शहरी विकास	श्री आदर्श	दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों
	तारांकित प्रश्न सं0 19		शास्त्री	को नियमित किए जाने के संबंध
	दिनांक : 18.11.2015			में।
3.	आश्वासन संख्या. 12	शहरी विकास	सुश्री भावना गौड़	पालम कॉलोनी में फ्लाइओवर
	तारांकित प्रश्न सं0 101		गौड़	बनने के दौरान विस्थापित
	दिनांक : 27.11.2015			दुकानदारों / मकान मालिकों को
				क्षतिपूर्ति राशि, वैकल्पिक स्थान
				देने हेतु।
4.	आश्वासन संख्या. 22	उद्योग	श्री विजेंद्र	फैक्टरी मालिकों को पुनःस्थापन
	तारांकित प्रश्न सं0 45		गुप्ता	योजना के अंतर्गत आबंटित प्लॉटों
	दिनांक : 23.11.2015			का फ्री–होल्ड अधिकार दिए जाने
				के संबंध में।
5.	आश्वासन संख्या. ४६	स्वास्थ्य	श्री जगदीश	दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों के
	तारांकित प्रश्न सं0 03		प्रधान	बारे में।
	दिनांक : 29.03.2016 आश्वासन संख्या. 47	T-11-10-71	श्री जगदीश	
6.	तारांकित प्रश्न सं0 03 का	स्वास्थ्य	श्री जगदीश प्रधान	सराय पीपलथला, रविदास मार्ग, आज़ादपुर मंडी के समीप स्थित
	पूरक प्रश्न		ЯЧІЧ	खाली भवन में मोहल्ला क्लीनिक
	दिनांक : 29.03.2016			खोलने के संबंध में।
7.	आश्वासन संख्या. ४८	स्वास्थ्य	श्री जरनैल	गुरु गोविंदसिंह अस्पताल में
'	तारांकित प्रश्न सं0 11 का	(41)	सिंह (राजौरी	बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के संबंध
	पूरक प्रश्न		गार्डन)	में।
	दिनांक : 29.03.2016		, , ,	
8.	आश्वासन संख्या. ४९	स्वास्थ्य	श्री नारायण	गौतमपुरी के एक भवन में
	तारांकित प्रश्न सं0 14		दत्त शर्मा	अस्पताल खोलने के संबंध में।
	दिनांक : 29.03.2016			
9.	आश्वासन संख्या. 50	स्वास्थ्य	श्री एस. के.	दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों के
	अतारांकित प्रश्न सं0 04		बग्गा	संबंध में।
	दिनांक : 29.03.2016			
10.	आश्वासन संख्या. 52	स्वास्थ्य	श्री जगदीप	दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के
	अतारांकित प्रश्न सं0 15		सिंह	रोगियों को मिलने वाली सुविधाओं
	दिनांक : 29.03.2016			का उन्नयन।

11.	आश्वासन संख्या. 59 तारांकित प्रश्न सं0 24 दिनांक : 30.03.2016	लो.नि.वि.	श्री सोमनाथ भारती	महिलाओं के लिए खतरनाक अँधेरे—स्थलों व महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वार उठाए जाने वाले पेड़ों की छँटाई, पथ—प्रकाश की व्यवस्था आदि कदमों के बारे में।
12.	आश्वासन संख्या. 03 तारांकित प्रश्न सं0 24 दिनांक : 30.03.2016	लो.नि.वि.	श्री जगदीश प्रधान	वज़ीराबाद रोड, भजनपुरा रेड लाइट पर फ्लाइओवर बनाने के संबंध में।
13.	आश्वासन संख्या. ४१ अतारांकित प्रश्न सं० ९४ दिनांक : 27.11.2015	लो.नि.वि.	सुश्री भावना गौड़	सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा छोड़े गए सरकारी आवासों के बकाया बिजली बिलों के सरकार द्वारा भुगतान व सरकार द्वारा वर्ष 2015 से उन कर्मचारियों से उनकी वसूली के संबंध में।
14.	आश्वासन संख्या. 18 तारांकित प्रश्न सं0 28 दिनांक : 20.11.2015	विधि, न्याय एवं विधायी कार्य	श्री आदर्श शास्त्री	द्वारका विधानसभा के अंतर्गत मोहन नगर क्षेत्र को द्वारका कोर्ट के स्थान पर पटियाला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रखे जाने के संबंध में।
15.	आश्वासन संख्या. 19 तारांकित प्रश्न सं0 38 दिनांक : 20.11.2015	विधि न्याय एवं विधायी कार्य	सुश्री अलका लांबा	महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ज्युडिशियल एन्क्वायरी कमीशन बनाने, बलात्कार के किशोर आरोपियों के मामले में न्यूनतम आयु घटाने और महिला जजों की संख्या बढ़ाने आदि के संबंध में।
16.	आश्वासन संख्या. 37 अतारांकित प्रश्न सं0 76 दिनांक : 26.11.2015	ऊर्जा	श्री सोमनाथ भारती	दिल्ली सरकार द्वारा ऊर्जा वितरण कंपनियों के सी एंड ए जी द्वारा ऑडिट के अपने आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के विरुद्ध अपील के संबंध में।